[2021] 6 एस. सी. आर 920

रीपैक कंसल

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 554)

30 जून, 2021

[अशोक भूषण और एम. आर. शाह, जे. जे.]

कोविड-19 महामारीः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। 12 ,

2 (डी), 2 (ई), 2 (आई), 2 (एम), 6,10,19,46 और 48-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.)/केंद्रीय को निर्देश देने के लिए प्रार्थना

सरकार/राज्य सरकारें अनुग्रह राशि प्रदान करेंगी

कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा। 12 अधिनियम का-क्या एस में "शब्द" का उपयोग किया जाएगा। 12 अधिनियम की व्याख्या की जानी है

और "होगा" या "मई" के रूप में माना जाता है और क्या यह "अनिवार्य" है

या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए "निर्देशिका/विवेकाधीन" आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए जिसमें जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता भी शामिल है-आयोजितः "" "" ""

न्यूनतम के लिए पहले से ही अनुशंसित दिशानिर्देशों के अलावा

कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के मानक-हालांकि, अनुग्रह राशि के लिए क्या उचित राशि दी जानी चाहिए

सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के विवेक पर छोड़ दी गई है

प्राधिकरण।

कोविड-19 महामारीः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।

12 , 2 (डी), 2 (ई), 2 (आई), 2 (एम), 6,10,19,46 और 48-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.)/केंद्रीय प्राधिकरण को निर्देश देने के लिए प्रार्थना

सरकार/राज्य सरकारें अनुग्रह राशि प्रदान करेंगी मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा

कोविड-19 की महामारी के कारण दम तोड़ दिया-क्या एक रिट

केंद्र सरकार/राष्ट्रीय सरकार को निर्देश जारी किया जा सकता है

प्राधिकरण/राज्य सरकारें अनुग्रह सहायता के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करेंगी, विशेष रूप से रु। 4 लाख, जैसा कि प्रार्थना की गई थी

याचिकाकर्ता-क्या न्यायालय अनुग्रह सहायता के माध्यम से एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है/दे सकता है-आयोजितः सरकार को करना चाहिए

नीतिगत निर्णय लेने/प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वतंत्र रहें (निश्चित रूप से

डी. एम. ए. 2005 के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को स्वतंत्र होना चाहिए।

न्यूनतम प्रदान करते हुए अपने स्वयं के निर्णय/प्राथमिकताएँ लेना।

राहत के मानक और यहां तक कि तैयारी, शमन, रोकथाम और पुनर्प्राप्ति के लिए), संसाधनों/निधियों की उपलब्धता और विशेषज्ञों की सहायता और सलाह पर अन्य राहतों के लिए खर्च की जाने वाली राशि और परिस्थितियों को देखते हुए

समय-समय पर इसलिए, निर्देश देने के लिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है

राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार/राज्य सरकारें नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के लिए एक विशेष राशि का भुगतान करेंगी

जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्यों को जीवनदान

कोविड-19-कुछ राज्य परिवार को अनुग्रह सहायता दे रहे हैं

कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के सदस्य

हालाँकि, इसका भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाता है या

अन्य राहत कोष, लेकिन राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) से नहीं

किसी भी हृदय-दहन और भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए, यह होगा

राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए वर्दी की सिफारिश करना उचित होगा

जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता के रूप में राहत के न्यूनतम मानकों का प्रावधान करते हुए दिशानिर्देश, जैसा कि अनिवार्य है एस के तहत। 12 अधिनियम का प्रावधान-हालांकि, साथ ही, संबंधित राज्यों के लिए अनुग्रह सहायता प्रदान करना हमेशा खुला रहेगा।

अपनी राहत से जीवन की हानि और अन्य राहतों के कारण

कोष (एस. डी. आर. एफ. के अलावा) क्योंकि यह संबंधित राज्यों द्वारा एक नीतिगत निर्णय होगा और वे ऐसी अन्य राहत/राहत प्रदान कर सकते हैं,

कोष की उपलब्धता की तलाश में-हालांकि, केवल इसलिए कि

हो सकता है कि कुछ राज्य [2021] 6 एस. सी. आर. पर अनुग्रह सहायता का भुगतान कर रहे हों।

उन व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन की हानि का लेखा-जोखा जो यदि कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, तो केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को अनुग्रह सहायता के रूप में एक विशेष राशि/राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा निधि/धन का उपयोग किया जाएगा।

यह उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें रोकथाम, तैयारी, शमन, वसूली आदि के लिए उपयोग किया जाने वाला धन/निधि शामिल है। इसलिए, कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह सहायता के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, यह राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्रीय प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए

सरकार।

कोविड-19 महामारीः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

एसएस। 2 (डी), 2 (ई), 2 (आई), 2 (एम), 6,10,12,19,46 और 48-उत्तरदाताओं/राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश देने के लिए प्रार्थना।

आपदा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने का दायित्व-आयोजितः प्रार्थना बहुत अस्पष्ट है

अन्यथा

भी,

भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहतों को दर्शाता है-इस प्रकार, कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है उत्तरदाता-राज्य सरकारें सामान्य रूप से एक विशेष नीति/राहत/राहत पैकेज घोषित करेंगी और यह उसी के अंतर्गत होगा।

नीतिगत निर्णय का क्षेत्र और इसके वित्तीय निहितार्थ भी होंगे।

कोविड-19 महामारीः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 -

एसएस। 2 (डी), 2 (ई), 2 (आई), 2 (एम), 6,10,12,19,46 और 48-उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए प्रार्थना-राज्य सरकारें कोई भी आधिकारिक आदेश जारी करें।

कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु का कारण बताते हुए दस्तावेज़-आयोजितः प्रत्येक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह मृत्यु का सही और सटीक कारण बताते हुए सटीक/सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे, ताकि कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, जो कोविड के कारण मरने वाले मृतक के लिए सरकार द्वारा घोषित की जा सकती हैं।

19 - मृत्यु प्रमाण पत्र में भी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड के कारण हुई है

19 और/या कोविड-19 के कारण कोई अन्य जटिलता/बीमारी, यह होनी चाहिए

मृत्यु प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए-प्रक्रिया को जितना हो सके उतना सरल बनाया जाना चाहिए-उपयुक्त प्राधिकरण को मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए सरल दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है जिसमें मृत्यु का सटीक कारण बताया गया है, अर्थात, "रीपाक कंसल बनाम मृत्यु।

भारत और अन्य का संघ

कोविड-19 "तक, कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए-इस तरह के दिशानिर्देश कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु प्रमाण पत्र/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज में सुधार के लिए भी उपाय प्रदान कर सकते हैं, यदि वे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं हैं।

कोविड-19 महामारीः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005।

2 (डी), 2 (ई), 2 (आई), 2 (एम), 6,10,12,19,46 और 48-उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए प्रार्थना-भारत संघ और अन्य सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए

कोविड-19 के पीड़ितों के लिए सुरक्षा और पुनर्वास-आयोजितः XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही और जवाबी हलफनामे से यह प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार परामर्श में सक्रिय रूप से इस पर विचार कर रही है

अन्य हितधारकों के साथ-अन्यथा भी, भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज शुरू कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर दिया गया है। 50 सामुदायिक स्वास्थ्य सहित देश भर में लाखों स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाखों रुपये प्रदान किए गए हैं।

कर्मचारी और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहे हों और इससे प्रभावित/संक्रमित होने का खतरा हो सकता है-यह आगे बताया गया है कि अभूतपूर्व स्थिति के कारण, निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/तदर्थ/आउटसोर्स कर्मचारी

राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अस्पतालों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है

-

उक्त योजना के तहत लाभों को 180 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है जो 24.04.2021 से प्रभावी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त देखभाल की गई है-हालाँकि, कुछ वर्ग को छोड़ दिया गया होगा, जैसे कि पूर्व में काम करने वाले व्यक्ति।

उन्हें

– इस प्रकार, केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है और उन लोगों को भी शामिल कर सकती है जिन्हें छोड़ दिया गया हो और जिन्हें कोविड-19 रोगियों के शवों के सीधे संपर्क में कहा जा सकता है-भारत संघ

वित्त आयोग द्वारा अपनी XVth वित्त आयोग रिपोर्ट [2021] 6 एस. सी. आर. में की गई सिफारिशों पर उचित कदम उठाएगा।

अन्य हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श से अनुच्छेद 8.131 को ध्यान में रखते हुए।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005: अधिनियम-वस्तु और उद्देश्य-पर चर्चा की गई।

प्रशासनिक कानूनः नीतिगत निर्णय-हस्तक्षेप

दायरा-आयोजितः जब सरकार अपनी नीति बनाती है, तो यह कई परिस्थितियों, तथ्यों, बाधा आधारित सरकारी संसाधनों सहित कानून पर आधारित होती है।

व्यावहारिक समायोजन जिनके लिए विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता हो सकती है, न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है-इसलिए, अदालतें सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी होंगी।

राहत, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो और/या व्यापक सार्वजनिक हित में न हो-न्यायिक समीक्षा।

न्यायिक समीक्षाः मैंडमस के लेखन का दायरा कब जारी किया जा सकता है-आयोजितः यदि वैधानिक प्राधिकरण/प्राधिकरण क़ानून या संवैधानिक कर्तव्य के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो

अधिनियमों को आम तौर पर इसके आधार के अनुसार समझा जाना चाहिए। अर्थ।

क़ानूनों की व्याख्याः लाभकारी प्रावधान-आयोजितः कानून के लाभकारी प्रावधान का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए

वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए और इसे विफल करने के लिए नहीं।

रिट याचिकाओं और सभी लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः 1.1 . आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 में,

2005 , "विल" शब्द का दो बार उपयोग किया जाता है। दो बार "होगा" शब्द का उपयोग करके विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट है और यह अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुरूप हो सकता है।

घरों को हुए नुकसान और आजीविका के साधनों की बहाली के लिए भी सहायता। इसलिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण पर यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करे, जिसमें राहत शामिल होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा बहुत सरल है और असंदिग्ध। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में निर्धारित कानून के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, जब प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध होती है, तो वैधानिक अधिनियमों को सामान्य रूप से इसके स्पष्ट अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। कानून के लाभकारी प्रावधान का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए।

ताकि वैधानिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके और इसे विफल न किया जा सके। [पैरा 10.1] [968-सी-जी]

1.2 . आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत, राष्ट्रीय प्राधिकरण को इसके लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

राहत के न्यूनतम मानक। राहत के न्यूनतम मानक

इस प्रकार, अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं हैं। फिर राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करते समय विधायिका द्वारा कुछ हद तक जो इरादा किया गया है, वह धारा 12 से ही एकत्र किया जाना है। जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के साथ-साथ घरों को नुकसान के कारण सहायता और आजीविका के साधनों की बहाली को राहत के न्यूनतम मानकों का हिस्सा कहा जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण से दिशानिर्देशों की सिफारिश करने की आवश्यकता है। [पैरा 10.2] [968-एच; 969-ए-बी] [2021] 6 एस. सी. आर.

1.3 . यहां तक कि "मई" शब्द के कानूनी महत्व की व्याख्या करने के लिए, न्यायालय को विभिन्न कारकों पर विचार करना पड़ता है, अर्थात्, उद्देश्य और अधिनियम की योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके खिलाफ शब्दों का उपयोग किया गया है, उद्देश्य और लाभ

इस शब्द के उपयोग से प्राप्त करने की कोशिश की गई, और इसी तरह। [पैरा 10.3] [969-बी-सी] 1.4 . "होगा" शब्द को "मई" के रूप में और निर्देशिका/विवेकाधीन के रूप में समझने के लिए, अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य होगा -

राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देश जिसमें जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के साथ-साथ घरों को हुए नुकसान के कारण सहायता और आजीविका के साधनों की बहाली शामिल होगी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिशानिर्देशों की सिफारिश करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई दिशानिर्देश/निर्णय लिया गया है कोविड-19 के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण अनुग्रह सहायता के रूप में राहत के न्यूनतम मानकों के लिए। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और यह विवाद में नहीं है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि कोविड-19 महामारी डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर एक आपदा है। इतना ही नहीं, 14.03.2020 दिनांकित पत्र में भी, केंद्रीय

सरकार ने कोविड-19 महामारी को "अधिसूचित" घोषित किया है

आपदा "। यहां तक कि दिशा-निर्देशों और एस. ओ. पी. एस. सहित अन्य सभी कदम डी. एम. ए. 2005 के प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं। इसलिए, एक बार जब कोविड-19 महामारी को "अधिसूचित आपदा"/राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया जाता है, तो अन्यथा भी यह देश के भीतर आपदा हो सकती है। डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) का अर्थ है, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के प्रावधान लागू होंगे और इसे कोविड-19 महामारी पर लागू किया जाना चाहिए जिसे "अधिसूचित आपदा"/राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। भारत संघ की ओर से यह निवेदन कि कोविड-19 महामारी की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भले ही कोविड-19 महामारी को घोषित किया गया हो और/या आपदा के रूप में माना गया हो, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 लागू नहीं हो सकती है और/या "होगी" शब्द का अर्थ "हो सकता है" के रूप में लगाया जाना चाहिए जब डी. एम. ए. 2005 को अधिनियमित किया गया था, तो विधायिका ने शायद यह कल्पना नहीं की होगी कि ऐसी महामारी/आपदा होगी जिसका दीर्घकालिक प्रभाव/प्रभाव होगा। उपरोक्त को इस सरल कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि रीपैक कंसल v की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित प्रत्येक आपदा।

भारत और अन्य का संघ

अधिनियम एक आपदा है और एक बार जब इसे "अधिसूचित आपदा"/राष्ट्रीय आपदा/आपदा के रूप में घोषित किया जाता है, तो डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 लागू होगी और किसी भी आपदा के संबंध में, डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर अनिवार्य रूप से इसका पालन किया जाना चाहिए। [पैरा 10.4] [969-एच; 970-ए-एफ]

1.5 . अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह सहायता के लिए कोई निर्णय/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

आपदा/कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए कोविड-19 महामारी के कारण जानमाल के नुकसान पर महामारी। एक बार, यह ऊपर के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि

"शब्द" को "होगा" के रूप में पढ़ना होगा और यह राष्ट्रीय प्राधिकरण पर अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य है कि वह सिफारिश करे।

राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश जिसमें जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता, कोविड-19 महामारी के कारण जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के लिए किसी भी दिशानिर्देश की सिफारिश नहीं करना, राहत के न्यूनतम मानकों के लिए अन्य दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण धारा 12 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है और इसलिए अनुग्रह राशि के लिए उचित दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को अनिवार्य रूप से एक रिट जारी की जानी है आपदा/कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के तहत अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए कोविड-19 महामारी के कारण जानमाल के नुकसान के कारण सहायता।

[पैरा 10.4] [970-जी-एच; 971-ए-बी]

2.1 . इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोविड-19 महामारी एक विचित्र आपदा है, जिसका अनुभव देश और दुनिया ने लंबे समय से किया है। इसका अन्य प्राकृतिक आपदाओं से असाधारण प्रसार और प्रभाव पड़ता है। इसलिए, इसके अत्यधिक प्रसार और प्रभाव के लिए अन्य आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं पर लागू होने वाले दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। समान/समान राशि का प्रावधान करने का कोई औचित्य नहीं होगा

अन्य आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं के मामले में प्रदान की गई अनुग्रह सहायता का तरीका, यानी रु। 4 लाख। [पैरा 11.1] [971-डी-ई; 972-बी-सी]

2.2 . हालाँकि सरकार को अपना फैसला खुद करना है

विभिन्न क्षेत्रों/विभिन्न राहतों के लिए प्राथमिकताएं और राहत।

अर्थव्यवस्था पर महामारी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन. डी. आर. एफ.)/राज्य से बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता है। आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.), राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करते हुए भी। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अनुग्रह सहायता के वित्तीय निहितार्थ भी होंगे और जो व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के अन्य न्यूनतम मानकों को प्रभावित कर सकते हैं

आपदा से प्रभावित। किसी भी राज्य या देश के पास असीमित संसाधन नहीं हैं। यही कारण है कि यह केवल वित्तीय राहत/पैकेज की घोषणा करता है जहां तक संभव हो। जब सरकार अपनी नीति बनाती है, तो यह बाधा आधारित सरकारी संसाधनों सहित कई परिस्थितियों, तथ्यों, कानून पर आधारित होती है। सरकार को व्यावहारिक समायोजन करने का अधिकार है जो विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो सकते हैं। न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है। इसलिए, अदालतें राहत प्रदान करने में सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम करेंगी, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो और/या व्यापक सार्वजनिक हित में न हो। सरकार को नीतिगत निर्णय लेने/प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए (निश्चित रूप से डी. एम. ए. 2005 के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार को राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करते हुए और यहां तक कि तैयारी, शमन की दिशा में भी अपने निर्णय/प्राथमिकताएं लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

रोकथाम और पुनर्प्राप्ति), उपलब्धता के अधीन संसाधनों/निधियों और विशेषज्ञों की सहायता और सलाह पर अन्य राहतों के लिए खर्च की जाने वाली राशि

समय-समय पर परिस्थितियाँ। इसलिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों की मृत्यु के कारण अनुग्रह सहायता के लिए एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है। 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वित्त आयोग के दिशानिर्देशों/सिफारिशों और अन्य राहतों/प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक धन पर विचार करते समय इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग की सिफारिशें

पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करें। हालांकि, साथ ही, आपदा/कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए, रीपैक कंसल बनाम.

भारत और अन्य का संघ

प्राधिकरण को दिशा-निर्देश जारी करने/सिफारिश करने पर विचार करना होगा

जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता। जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता राहत के न्यूनतम मानकों का हिस्सा है, जिस पर राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों का प्रावधान-वर्तमान मामले में कोविड-19 महामारी। [पैरा 12] [972-सी-एच; 973-ए-डी]

2.3 . यह बताया गया है कि कुछ राज्य मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह सहायता का भुगतान कर रहे हैं

कोविड-19 महामारी के कारण, जैसे बिहार राज्य ने रु। 4 लाख, कर्नाटक ने रु। 1 लाख और दिल्ली रु। 50,000 / - . हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसका भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य राहत कोष से किया जाता है, लेकिन एस. डी. आर. एफ. से नहीं। किसी भी दिल की जलन और भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए यह उचित होगा कि वह राहत के न्यूनतम मानकों का प्रावधान करते हुए समान दिशानिर्देशों की सिफारिश करे। अधिनियम की धारा 12 के तहत अनिवार्य जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता का रूप। हालाँकि, साथ ही, संबंधित राज्यों के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वे अपने स्वयं के राहत कोष (एस. डी. आर. एफ. के अलावा) से जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता और अन्य राहत प्रदान करें क्योंकि यह संबंधित राज्यों द्वारा एक नीतिगत निर्णय होगा और वे प्रदान कर सकते हैं।

निधि की उपलब्धता को देखते हुए ऐसी अन्य राहत/राहत। हालांकि, केवल इसलिए कि कुछ राज्य कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता का भुगतान कर रहे हैं, केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि वे किसी विशेष राशि/राशि का भुगतान अनुग्रह सहायता के रूप में करें।

केंद्र सरकार द्वारा निधि/धन उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा जिसमें रोकथाम, तैयारी, शमन, वसूली आदि के लिए उपयोग किया जाने वाला धन/निधि शामिल है। इसलिए, कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह सहायता के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, यह राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। [पैरा 12.1] [973-ई-एच; 974-ए-बी]

3. प्रत्येक प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह सही और सटीक कारण [2021] 6 एस. सी. आर. बताते हुए सटीक/सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करे।

मृत्यु दर, ताकि कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो, जो सरकार द्वारा मृतक की मृत्यु के लिए घोषित की जा सकती हैं, जिसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 और/या कोविड-19 के कारण किसी अन्य जटिलता/बीमारी के कारण हुई है, तो यह होना चाहिए विशेष रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित। प्रक्रिया को जितना हो सके उतना सरल बनाया जाना चाहिए। केंद्र द्वारा एक सरलीकृत प्रक्रिया/दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

मृत्यु का सटीक कारण बताते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार और/या उपयुक्त प्राधिकरण, अर्थात,

" कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु, मृतक के परिवार के सदस्यों को, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई थी। मार्गदर्शन के लिए, इस तरह के दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई है और

दो से तीन महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो गई है, या तो अस्पताल में या अस्पताल के बाहर या घर पर, मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज मृतक के परिवार के सदस्यों को जारी किया जाना चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, जिसमें मृत्यु का कारण "कोविड-19 के कारण मृत्यु" बताया गया है। हो सकता है कि उसकी मृत्यु अन्य जटिलताओं के कारण भी हुई हो, हालाँकि, कोविड-19 के कारण। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि यदि मृतक के परिवार के सदस्य (ओं) को कोई शिकायत है कि मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में मृत्यु के सही/सटीक कारण का उल्लेख नहीं है, तो उसे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कोई उपाय प्रदान किया जाना चाहिए।

आधिकारिक दस्तावेज़ को ठीक किया गया। [पैरा 13] [974-सी-ई, एफ-एच; 975-ए] 4. जहाँ तक उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए एक उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना है-राज्य सरकारें उन्हें पूरा करने के लिए

आपदा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने की बाध्यता का संबंध है, मांगी गई प्रार्थना बहुत अस्पष्ट है।

अन्यथा भी, भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहतों को दर्शाता है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है-राज्य सरकारें

विशेष नीति/राहत/राहत पैकेज सामान्य रूप से नीतिगत निर्णय के दायरे में होगा और इसका वित्तीय प्रभाव भी होगा। [पैरा 14] [975-बी-सी] रीपाक कंसल बनाम।

भारत और अन्य का संघ

5. अब जहाँ तक राहत उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने की मांग की गई है-भारत संघ और अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए

बीमे के रूप में, XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही इसकी सिफारिशें कर दी हैं और जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके सक्रिय रूप से इस पर विचार कर रही है। अन्यथा भी, भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय

सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज शुरू कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर दिया जाता है। 50 देश भर में लाखों स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाखों रुपये प्रदान किए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहे होंगे और जिन पर इससे प्रभावित होने/संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। यह भी बताया गया है कि अभूतपूर्व स्थिति के कारण, निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त / स्वयंसेवी/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक मजदूरी/तदर्थ/राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों द्वारा मांगे गए आउटसोर्स कर्मचारी /

केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। उक्त योजना के तहत लाभों को 24.04.2021 से 180 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त देखभाल की गई है। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्ग को छोड़ दिया गया हो, जैसे कि वे व्यक्ति जो पूर्व-शव परीक्षण में काम कर रहे थे। इस प्रकार, केंद्र सरकार इस पर गौर कर सकती है और उन लोगों को भी शामिल कर सकती है जिन्हें छोड़ दिया गया हो और जिन्हें कोविड-19 रोगियों के शवों के सीधे संपर्क में कहा जा सकता है। यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल ने भी बार में कहा है कि केंद्र सरकार/उचित

प्राधिकरण उसी पर गौर करेगा। [पैरा 15] [975-D-E, F-H; 976-A-C]

6.1 . राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है

अनुग्रह सहायता के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश

डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 (iii) के तहत अनिवार्य रूप से कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जानमाल के नुकसान का लेखा-जोखा, राहत के न्यूनतम मानकों के लिए प्रदान किया जाएगा। आपदा से प्रभावित व्यक्ति-कोविड 19 महामारी, ऊपर और ऊपर [2021] 6 एस. सी. आर.

कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करने के लिए पहले से ही दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई है।

तथापि, अनुग्रह सहायता के लिए कितनी उचित राशि की पेशकश की जानी चाहिए, यह राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया जाता है जो

अन्य राहतों के लिए एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. के तहत निधि की आवश्यकता/उपलब्धता और राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और राहत के अन्य न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक निधि और रोकथाम के लिए आवश्यक निधि को ध्यान में रखते हुए राशि निर्धारित करने पर विचार करें।

डी. एम. ए. 2005 के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए तैयारी, शमन और पुनर्प्राप्ति और अन्य राहत। उपरोक्त अभ्यास और उचित दिशानिर्देशों की सिफारिश की जानी चाहिए, जैसा कि निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, छह सप्ताह की अवधि के भीतर। [पैरा 16] [976-सी-जी] 6.2 . उपयुक्त प्राधिकरण को मृत्यु प्रमाण पत्र/अधिकारी जारी करने के लिए सरल दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है

कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु का सही कारण, यानी "कोविड-19 के कारण मृत्यु" बताते हुए दस्तावेज़। इस तरह के दिशानिर्देश जारी करते समय, निर्णय के पैराग्राफ 13 में ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह के दिशानिर्देश कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को उपयुक्त द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में सुधार के लिए भी उपाय प्रदान कर सकते हैं।

प्राधिकरण, यदि वे मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं हैं उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित। [पैरा 16] [976-जी-एच; 977-ए-बी]

6.3 . भारत संघ इस पर उचित कदम उठाएगा

वित्त आयोग द्वारा अपनी XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट में अन्य हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श से अनुच्छेद 8.131 को ध्यान में रखते हुए की गई सिफारिशें।

[पैरा 16] [977-बी-सी]

लघु औद्योगिक निर्माता संघ

(रेग.) वी. भारत संघ और अन्य, 2021 (4) स्केल

415 पर भरोसा किया।

डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम। निदेशक, नगर और ग्राम योजना विभाग, हरियाणा (2010) 14 एस. सी. सी. 1:

[2010] 15 एस. सी. आर. 85; शिन-एटसु केमिकल कं. लिमिटेड v. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड (2005) 7 एस. सी. सी. 234: [2005] 2 पूरक।

रीपाक कंसल बनाम। भारत और अन्य का संघ

एससीआर 699; भावनगर विश्वविद्यालय बनाम। पालिताना चीनी मिल

(पी) लिमिटेड (2003) 2 एस. सी. सी. 111: [2002] 4 पूरक। एस. सी. आर. 517;

स्वराज अभियान बनाम। भारत संघ (2016) 7 एससीसी 498; नगर परिषद, रतलाम बनाम। वर्दीचन (1980) 4 एस. सी. सी.

162 : [1981] 1 एस. सी. आर. 97; खत्री (2) v. बिहार राज्य

(1981) 1 एससीसी 627: [1981] 2 एस. सी. आर. 408; चरण लाल

साहू वी. भारत संघ, (1990) 1 एस. सी. सी. 613; समता बनाम। ए. पी. राज्य (1997) 8 एस. सी. सी. 191 और बच्चन देवी बनाम।

नगर निगम, गोरखपुर, (2008) 12 एससीसी 372 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 15 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2005] 2 पूरक। एससीआर 699

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.5

[2002] 4 पूरक। एससीआर 517

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.5

(2016) 7 एससीसी 498

पैरा 3.6

संदर्भित किया गया है

[1981] 1 एससीआर 97

पैरा

3.6

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 408

संदर्भित किया गया है

पैरा

3.6

(1990) 1 एस. सी. सी. 613

संदर्भित किया गया है

पैरा

5.1

(1997) 8 एससीसी 191

पैरा

5.1

संदर्भित किया गया है

(2008) 12 एस. सी. सी. 372

पैरा

6

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

2021 (4) स्केल 415

पैरा

7.2

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सिविल)

554 2021 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

2021 का पेटिटन (सिविल) No.539 लिखें।

एस. बी. उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रीपक कंसल, यदुनंदन बा

सुश्री रूही गुप्ता, हरिशा एस. आर., अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., सुश्री ऐश्वर्या भाटी, के. एम. नटराज, ए

रजत नायर, अमित शर्मा, सुघोश सुब्रमण्यन, बी. वी. बलराम डॉ. मोनिका गुसैन, डी. कुमानन, राहुल जोशी, सु सोधी, वरुण तन्खा, हुसैन अली, सिद्धांत गुप्ता, आनंद एस. जोंड [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यशोदा जोंधले, अब्दुल कादिर, सुनील प्रेम लल्ला, सतीश पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. हस्तक्षेप के लिए आवेदनों को प्रार्थना के संदर्भ में अनुमति दी जाती है और आवेदकों को वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है।

2. ये दोनों रिट याचिकाएं जनहित में दायर की गई हैं, जिसमें प्रतिवादियों-केंद्र/राज्य सरकारों को 5 लाख रुपये का अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 4 मृतक के परिवारों को एक लाख रुपये या अधिसूचित अनुग्रह राशि मौद्रिक मुआवजा

हस्तक्षेप करने वाले-परिवार के सदस्य जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, संबंधित रिट याचिकाओं में मांगी गई प्रार्थनाओं का समर्थन करते हैं। 3. श्री एस. बी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 554 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए हैं। श्री.

गौरव कुमार बंसल, विद्वान अधिवक्ता पार्टी के रूप में पेश हुए हैं।

2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 539 में व्यक्ति। श्री सुमीर सोधी और श्री आनंद एस. जोंधले, विद्वान अधिवक्ता संबंधित हस्तक्षेप आवेदनों में हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए हैं। श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री के. एम. नटराज और सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत संघ की ओर से पेश हुए हैं। 3.1 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 554 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. बी. उपाध्याय ने रिपैक कंसल बनाम.

प्रस्तुत किया कि स्वीकार्य रूप से कोविड-19 एक "अधिसूचित आपदा" है और इसलिए डी. एम. ए. 2005 के प्रावधान लागू होंगे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में कोविड-19 वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.) के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे "अधिसूचित आपदा" के रूप में मानने का निर्णय लिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले दिनांक 1 के पत्र/संचार के अनुसार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने एस. डी. आर. एफ. और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एन. डी. आर. एफ.) से सहायता की संशोधित सूची और मानदंड जारी किए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त पत्र के अनुसार, आपदा के कारण होने वाली किसी भी मौत के लिए, रु। 4 पीड़ित के परिवार को अन्य राहतों के अलावा एक लाख रुपये का भुगतान किया जाना है। इसलिए इसे एक ही पंक्ति पर प्रस्तुत किया जाता है और समान मानदंडों को लागू करते हुए, उन लोगों के परिवार के सदस्य जिन्होंने दम तोड़ दिया है

कोविड-19 को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जानी है। 4 लाख, कोविड-19 के रूप में भी इलाज किया जाता है, माना जाता है और "अधिसूचित आपदा" के रूप में घोषित किया जाता है।

3.2 याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपाध्याय ने आगे कहा कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 अनिवार्य रूप से उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए न्यूनतम दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का प्रावधान करती है।

आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के मानक और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता भी शामिल होगी। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह राष्ट्रीय का वैधानिक कर्तव्य है कोविड-19, जिसे "अधिसूचित आपदा" घोषित किया गया है, के कारण जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देशों में प्रदान करने का अधिकार।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जीवन की हानि के कारण इस तरह की अनुग्रह सहायता प्रदान करना न केवल डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के तहत एक वैधानिक दायित्व है, बल्कि यह संवैधानिक दायित्व भी है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 12 में दो बार आने वाला शब्द "होगा" केंद्र/राज्य सरकार की ओर से एक संवैधानिक और वैधानिक दायित्व रखता है कि वह पूर्व में दिए गए प्रावधानों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करे।

सहायता सहायता जो निर्वाह सहायता की प्रकृति में हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पहले के वर्षों के लिए 2015-2020 गृह मंत्रालय के दिनांकित 08.04.2015 पत्र के माध्यम से सरकार ने पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए एस. डी. आर. एफ. और एन. डी. आर. एफ. से सहायता के मानदंड निर्धारित किए हैं।

21] 6 एस सी आर।

3.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 में "होगा" शब्द को "अनिवार्य" के रूप में माना जाना चाहिए और ऐसा नहीं होगा।

"मई" के रूप में पढ़ा जाए, जैसा कि भारत संघ की ओर से तर्क दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 में प्रयुक्त शब्द "होगा" को "मई" के रूप में पढ़ा जाता है, जैसा कि भारत संघ की ओर से प्रचार करने की मांग की गई है, तो विकसित "स्थिति व्याख्या" की अवधारणा डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 में निहित उद्देश्य और उद्देश्य को नकार देगी क्योंकि इसका उद्देश्य पीड़ित परिवार को तत्काल पोषण सहायता है। डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है। निदेशक, नगर और देश योजना विभाग, हरियाणा (2010) 14 एस. सी. सी. 1 (पैरा 13) और शिन-एत्सु

केमिकल कं. लिमिटेड बनाम। अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. 234 (पैरा 85)।

3.5 भावनगर विश्वविद्यालय बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। पालिताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड, (2003) 2 एस. सी. सी. 111 (पैरा 25 और 26), यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब धारा/प्रावधान में उपयोग की गई भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो किसी भी शब्द को तब तक नहीं जोड़ा जाएगा, बदला नहीं जाएगा या संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी प्रावधान को बाकी क़ानून के साथ अस्पष्ट, बेतुका, अनुचित, अव्यवहारिक या पूरी तरह से अपरिवर्तनीय होने से रोकने के लिए ऐसा करना स्पष्ट रूप से आवश्यक न हो। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 में उपयोग की गई भाषा सरल और स्पष्ट है और इसलिए "होगा" शब्द को "होगा" के रूप में पढ़ा जाएगा और इसे अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए।

3.6 स्वराज अभियान बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 498 (पैरा 120 से 123), यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, वित्तीय अक्षमता की याचिका वैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना का बहाना नहीं हो सकती है। नगर परिषद, रतलाम बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भी भरोसा रखा गया है। वर्दिचन, (1980) 4 एस. सी. सी. 162; और खत्री (2) बनाम। बिहार राज्य, (1981) 1 एस. सी. सी. 627 और यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि देखा गया है कि राज्य की अपनी वित्तीय बाधाएं और व्यय में इसकी प्राथमिकताएं हो सकती हैं, कानून किसी भी सरकार को अपने नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की अनुमति नहीं देता है।

गरीबी की माँग पर। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई याचिका कि पीड़ित परिवारों को कोविड-19 महामारी के कारण हुई जानमाल की हानि के लिए अनुग्रह मुआवजे के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना राजकोषीय सामर्थ्य से परे है, स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजकोषीय सामर्थ्य/वित्तीय बाधा डी. एम. ए. 2005 के तहत वैधानिक दायित्व और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं करने का आधार नहीं हो सकती है। भारत से।

3.7 याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपाध्याय ने आगे कहा कि यह हर सरकार, केंद्र या राज्य का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सही/सटीक मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें सही का उल्लेख किया गया है। कोविड-19 महामारी से होने वाली मृत्यु का कारण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृत्यु के सही कारण-कोविड-19 महामारी के साथ सटीक/सही मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं करने से, मृतक के परिवार के सदस्य, जिनकी मृत्यु कोविड-19 महामारी के कारण हुई थी, केंद्र/राज्य द्वारा घोषित योजनाओं के लाभों से वंचित हो जाएंगे।

सरकारें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न केवल मृत्यु के सही कारण-कोविड-19 महामारी का उल्लेख करते हुए सही/सटीक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने से, अन्य नागरिक भी गुमराह होंगे और कोविड-19 से होने वाली मौतों का सही आंकड़ा ज्ञात नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम दिखाई जाती है, तो लोग गुमराह होंगे और कई बार वे लापरवाही करेंगे। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृत्यु के सही कारण के साथ सही/सटीक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना भी व्यापक लोक हित में है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के कारण का उल्लेख करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।

4. श्री उपाध्याय द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री गौरव कुमार बंसल, विद्वान अधिवक्ता

इसे अलग तरीके से लागू करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ की ओर से यह निवेदन कि "आपदा" शब्द की परिकल्पना डी. एम. ए. 2005 को लागू करते समय की गई थी, मोटे तौर पर किसी भी आपदा या आपदा के परिणामस्वरूप ऐसी आपदाएँ थीं जो एक बार होती हैं या कुछ समय के लिए समय-समय पर कम घटनाएं होती हैं, इसलिए कोविड-19 की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 आपदा को विधानमंडल द्वारा डी. एम. ए. 2005 को लागू करते समय "आपदा" शब्द से अलग तरीके से माना जाना चाहिए। उपरोक्त के लिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार कोविड-19 को "अधिसूचित आपदा/आपदा" के रूप में घोषित किया जाता है और अन्यथा भी धारा के अनुसार 2 (घ) डी. एम. ए. 2005 के अनुसार, कोविड-19 महामारी एक "आपदा" है और इसलिए डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 सहित सभी प्रावधान लागू होंगे और लागू होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि हाल ही में वर्ष 2019 में भी भारत संघ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 जारी की है

(एन. डी. एम. पी. 2019), जिसमें दो प्रकार की आपदाओं को परिभाषित किया गया है, अर्थात (1) प्राकृतिक खतरे और (2) मानव निर्मित आपदाएँ। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. पी.-2019 ने अपने प्राकृतिक खतरों को और वर्गीकृत किया है और जैविक प्राकृतिक खतरों को "आपदा" के रूप में शामिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कोविड-19 एक जैविक आपदा होने के नाते डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) के दायरे में आता है और इसलिए डी. एम. ए. 2005 के तहत एक "आपदा" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इस बात से इनकार करने के लिए कि कोविड-19 एक आपदा नहीं है, कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार ने भी 14.03.2020 पर कोविड-19 को "अधिसूचित आपदा" के रूप में मानने का निर्णय लिया है।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के बाद तैयार की गई XVth वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से भी पता चलता है कि केंद्रीय

सरकार ने हमेशा कोविड-19 को "आपदा" के रूप में माना है

डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) में उल्लिखित है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ की ओर से यह निवेदन कि कोविड-19 उस तरह की आपदा नहीं है जिसकी परिकल्पना विधानमंडल ने डी. एम. ए. 2005 को लागू करते समय की थी, और कुछ नहीं बल्कि एक विचार है। 4.3 अब जहाँ तक भारत संघ की ओर से यह रुख अपनाया गया है कि धारा 12 में प्रयुक्त शब्द "होगा" को धारा 12 (i) से (iii) में दिए गए उदाहरणों को पढ़ते समय "मई" के रूप में पढ़ना होगा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संसद ने भारत की धारा 12 में दो बार "होगा" शब्द का उपयोग किया है।

डी. एम. ए. 2005 जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.) न केवल राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए बाध्य है, बल्कि ऐसी राहतों में जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 में "होगा" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे को इंगित करता है कि उक्त प्रावधान अनिवार्य है और इस तरह यह केंद्र सरकार/एन. डी. एम. ए. का वैधानिक कर्तव्य है कि वह उन व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि प्रदान करने वाले दिशानिर्देश जारी करे जिनकी कोविड-19 वायरस के कारण मृत्यु हो गई है, जब वे राहत कार्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे या जब वे इससे जुड़े थे। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयारी गतिविधियाँ।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ, गृह मंत्रालय ने भी अपने दिनांकित 8.4.2015 पत्र के माध्यम से वस्तुओं की संशोधित सूची जारी की

एस. डी. आर. एफ./एन. डी. आर. एफ. से सहायता के मानदंडों का जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रु। 4 रीपाक कंसल बनाम के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

मृतक व्यक्ति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए "होगा" शब्द का उपयोग किया जाता है

विधायिका द्वारा धारा 12 में इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो। 4.5 विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार बंसल द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बीमारी के लिए अनुग्रह राशि प्रदान करने के साथ-साथ उसे अस्वीकार करना।

अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अन्याय और अपमानजनक भेदभाव पैदा होगा और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, अधिक

विशेष रूप से जब गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार ने स्वयं डी. एम. ए. 2005 के तहत कोविड-19 को "अधिसूचित आपदा" के रूप में अधिसूचित किया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक आपदा (जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि) के लिए अनुग्रह राशि देने के साथ-साथ अन्य आपदाओं (जैसे कोविड-19) के लिए अनुग्रह राशि देने से न केवल अन्याय और भेदभाव पैदा होगा, बल्कि उन परिवारों पर भी अनुचित कठिनाई होगी जिन्होंने कोविड-19 वायरस के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है।

4.6 अब जहाँ तक भारत संघ की ओर से राजकोषीय सामर्थ्य का अनुरोध करते हुए अनुग्रह राशि का प्रावधान करने की बात है

सभी कोविड-19 मृतक व्यक्तियों के परिवार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार, कर्नाटक, दिल्ली जैसे कुछ राज्य हैं जो उन परिवारों को अनुग्रह राशि के रूप में एक बार का मुआवजा दे रहे हैं जिनके सदस्यों की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है।

4.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान की अनुसूची VII की समवर्ती सूची की मद संख्या 23 सामाजिक सुरक्षा और विकास से संबंधित है।

सामाजिक बीमा और इसी मद के आधार पर संसद ने डी. एम. ए. 2005 अधिनियमित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा प्रदान करना डी. एम. ए. 2005 को लागू करने की आधारशिलाओं में से एक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए कोविड-19 मृतक के परिवारों को अनुग्रह राशि देने से इनकार नहीं किया जाएगा

केवल उस आधारशिला पर प्रहार करें जिस पर डी. एम. ए. 2005 खड़ा है, लेकिन यह डी. एम. ए. 2005 के पूरे उद्देश्य को भी विफल कर देगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के कारण, लाखों परिवारों ने न केवल अपने करीबी और प्रियजनों को खो दिया है, बल्कि एकमात्र कमाने वाले को भी खो दिया है जो व्यक्तियों की श्रेणी का पालन-पोषण कर रहे थे, यानी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकमात्र कमाने वाले को खोने के कारण लाखों परिवार पूरी तरह से तबाह और नष्ट हो गए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुग्रह राशि के रूप में सम्मानजनक और उचित एकमुश्त मुआवजे का अनुदान, जैसा कि प्रदान किया गया है।

डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 (iii) के तहत "जरूरतमंद और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिवारों" को "निम्न से निम्न" तक, जिन्होंने अपनी जान गंवाई [2021] 6 एस. सी. आर.

"कोरोना योद्धा" के रूप में कार्य करते हुए, यह न केवल उन्हें सामाजिक सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा, बल्कि डी. एम. ए. 2005 की भावना को भी पूरा करेगा।

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि वित्त आयोग ने भी बिंदु संख्या 8.132 और 8.133 पर अपनी XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार को राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू करने का सुझाव दिया

भारत में आपदा से संबंधित मौतों के लिए जो न केवल सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में काम करने में सक्षम होगी, बल्कि सरकार पर प्रशासनिक बोझ भी नहीं बढ़ाएगी।

जहाँ तक लोकतांत्रिक रूप से संभव हो भौतिक संसाधन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक "समाजवादी" देश घोषित करती है और यह शब्द स्वयं सरकार की सामाजिक कल्याण जिम्मेदारियों के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रमाण देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए एक कर्तव्य निर्धारित करता है - सरकार अपनी नीतियों को इस तरह से बनाए कि नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अधिकार मिले। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि

परिवार के किसी सदस्य के नुकसान को कम करने के लिए कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन फिर भी सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में उन लोगों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाएगी, जिनकी कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है ताकि वे सभी सम्मानजनक जीवन जी सकें और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 5.1 चरण लाल साहू बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। भारत संघ, (1990) 1 एस. सी. सी. 613 (के रूप में लोकप्रिय)

" भोपाल गैस रिसाव आपदा मामला ", यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामले में यह माना जाता है कि सरकार के पास इसकी संप्रभु शक्ति है

विकलांग व्यक्तियों पर संरक्षकता और उनकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है। समता बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा रखा गया है। ए. पी. राज्य (1997) 8 एस. सी. सी. 191 (पैरा 72)। 5.2 हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री सोधी ने आगे कहा कि सरकार को वित्तीय बाधा या असमर्थता का दावा करके अपने संवैधानिक कर्तव्य से त्याग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार का यह निवेदन कि कोविड-19 के कारण मरने वाले सभी मृतक व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान उनकी वित्तीय सामर्थ्य से परे है, बचने के आधार के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि सरकार को अनुमति दी जाती है तो रीपैक कंसल v.

भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

राजकोषीय अक्षमता को अपने संवैधानिक कर्तव्य से बचने के आधार के रूप में दावा करने के लिए, यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा और हर बार जब सरकार एक तंग स्थिति में होगी, तो वह राहत प्रदान करने से खुद को बचाने में राजकोषीय अक्षमता की ढाल के पीछे छिपकर कानूनी रूप से कानूनों के तहत कर्तव्यों की अवहेलना कर सकती है।

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब हमारे देश में कोविड-19 वायरस तेजी से फैलने लगा, तो भारत संघ ने डी. एम. ए. 2005 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्रिय रूप से "कोविड-19" को एक महामारी के रूप में अधिसूचित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अब जब डी. एम. ए. 2005 के तहत जानमाल के नुकसान को कम करने की जिम्मेदारी आती है, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और उन लोगों को मुआवजा प्रदान करने के अपने कर्तव्य से बचने की कोशिश कर रही है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। यह है।

प्रस्तुत किया कि एस. डी. आर. एफ. से सहायता की वस्तुओं और मानदंडों की संशोधित सूची में दिनांकित 14.03.2020 पत्र के माध्यम से, भारत सरकार ने

अनुग्रह मुआवजे के खंड को वापस ले लिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एन. डी. एम. ए.

आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 (ii) और धारा 12 (iii) पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

5.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त वापसी के परिणामस्वरूप एक विसंगति हुई है जिसका कोई उचित तर्क नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है

कि मुआवजे पर एक समान नीति होनी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में विभिन्न राज्य मृतक व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे की अलग-अलग राशि का भुगतान कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बिहार राज्य ने घोषणा की है कि वह रु। 4 मामले में एक लाख का मुआवजा कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या; मध्य प्रदेश राज्य ने रुपये की राशि की घोषणा की है। 1 एक लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे और दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि कोविड-19 से मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि एक लाख रुपये होगी। 50,000 / - . यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की विसंगति है

केवल केंद्र सरकार द्वारा मौद्रिक मुआवजे को वापस लेने के गलत और अवैध कार्य के कारण प्रवेश किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

कोविड-19 महामारी के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले लाभों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

6. वर्तमान याचिकाओं का विरोध करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा है कि यह मामले की ओर से नहीं है।

भारत संघ ने कहा कि कोविड-19 "अधिसूचित आपदा/आपदा" नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह भी विवाद में नहीं है कि डी. एम. ए. 2005 के प्रावधान कोविड-19 महामारी के संबंध में लागू होंगे।

यह

[2021] 6 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि विभिन्न दिशा-निर्देश/एस. ओ. पी. जारी किए जाएं और डी. एम. ए. 2005 के प्रावधानों के तहत कदम उठाए जाएं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार भी वित्तीय बाधाओं का सामना नहीं कर रही है और/या राजकोषीय सामर्थ्य का अनुरोध नहीं कर रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुद्दा राजकोषीय नहीं है किफायती, लेकिन राजकोषीय और राष्ट्र के अन्य सभी संसाधनों का सबसे तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रश्न प्राथमिकताओं का है और वित्तीय बाधाओं का सामना नहीं कर रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह गलत नहीं समझा जा सकता है कि सरकार वित्तीय बाधा के कारण अनुग्रह राशि देने का विरोध कर रही है।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि विस्तृत में उल्लेख किया गया है और

भारत संघ की ओर से दायर व्यापक हलफनामे में केंद्र सरकार द्वारा डी. एम. ए. 2005 के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, साथ ही कोविड-19 महामारी के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया के रूप में विशेष रूप से कदम उठाए गए हैं, जिसमें कोविड-19 वायरस की विकसित प्रकृति के अनुरूप एक अधिक व्यापक, बहुआयामी, बहु-क्षेत्रीय, संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार के साथ-साथ गतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया है।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत संघ द्वारा कोविड-19 के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया की रणनीति बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जो पूरी दुनिया पर जीवन में एक बार आने वाली महामारी है, जिसमें न केवल धन का उपयोग किया जाता है एन. डी. आर. एफ. और एस. डी. आर. एफ., लेकिन भारत के समेकित कोष से भी

विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयोग किया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बहुत कम समय में संपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना, तैयारी, राहत, बहाली, शमन और पुनर्निर्माण को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

परीक्षण, अनुरेखण, उपचार और संगरोध सुविधाएं;

अ)

अस्पताल की सुविधाओं, ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों, वेंटिलेटरों में वृद्धि,

ख)

आई. सी. यू. सुविधाएं आदि। ;

स्वास्थ्य कार्यबल और उनके बीमा में वृद्धि;

(ग)

घ) संवर्द्धन, आबंटन, आपूर्ति और परिवहन

ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाएं;

ई)

अनुसंधान, विकास, उत्पादन में वृद्धि और दुनिया के किसी एक हिस्से को तेजी से कवर करने के लिए टीकाकरण का प्रशासन

लाभार्थियों की सबसे बड़ी योग्य आबादी; कमजोर समूहों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना; रीपैक कंसल बनाम।

च)

बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव को कम करना

जी)

बहुआयामी दृष्टिकोण से व्यवधान; और

ज)

अनाथ बच्चों का पुनर्वास, संरक्षण और शिक्षा

कोविड-19 के कारण।

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न आपदाओं के अलग-अलग प्रभाव/प्रभाव होते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 की प्रकृति को देखते हुए

डी. एम. ए. 2005 को अधिनियमित करते समय विधायिका। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "आपदा" में मूल रूप से विचार किया गया है कि क्या एक बार की घटना है या वही कुछ समय के लिए बार-बार होती है जैसे कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात, विभिन्न प्रकार के "राहत के अंतरिम उपाय" प्रदान किए जाने हैं, क्योंकि आम तौर पर ऐसी आपदाओं से निपटना मुश्किल नहीं है जिनकी दिन-प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होती है।

खर्च, दिन-प्रतिदिन की निगरानी, प्राथमिकताओं में दिन-प्रतिदिन का परिवर्तन और उनसे निपटने के तरीकों और तौर-तरीकों में दिन-प्रतिदिन का परिवर्तन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह वह अंतर है जो वर्तमान संदर्भ में डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के दायरे और दायरे को तय करते समय प्रासंगिक है।

6.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह हमेशा वांछनीय है कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि की प्रकृति की कोई भी आपदा, प्रत्येक मृतक को अनुग्रह राशि का भुगतान धारा 12 के तहत विचार किए गए दिशानिर्देशों के रूप में निर्धारित किया गया है। हालाँकि, जब आपदा न केवल एक चल रही आपदा बनी रहती है, बल्कि सरकारी खर्च की आवश्यकता होती है, तो जनता से खर्च किया जाता है सरकारी खजाने, दैनिक आधार पर आपदा की निगरानी और उपलब्ध सर्वोत्तम, निरंतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यक्तियों का इलाज, धारा 12 के तहत "राहत के न्यूनतम मानकों" की अवधारणाएं अलग-अलग होंगी। जारी महामारी जैसे परिदृश्य में, केंद्र सरकार को आपदा से पीड़ित आबादी को ध्यान में रखते हुए एक अलग "राहत के न्यूनतम मानक" प्रदान करने होंगे, अपने स्वयं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा, एक बहु-भीड़ दृष्टिकोण प्रदान करना होगा और नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, जिसके लिए दैनिक आधार पर खर्च की आवश्यकता होती है।

6.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार,

" धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानकों ने पहले ही कई कदम उठाए हैं जिनके माध्यम से पर्याप्त और त्वरित उपाय किए गए हैं -

स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना (क्योंकि वर्तमान आपदा के लिए कई लॉकडाउन की आवश्यकता थी जिसके परिणामस्वरूप कमाई का नुकसान हुआ), उन लोगों को बीमा कवर जो सीधे कोविड संक्रमित रोगियों के करीब रहकर महामारी से निपट रहे थे आदि।

6.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 एक नए वायरस के रूप में आया है और

बीमारी के परिणामस्वरूप पूरी दुनिया में महामारी फैल गई। पूरी दुनिया ने अलग-अलग तीव्रता, उत्परिवर्तन और लहरों के साथ इस घटना का सामना किया है, जो जीवन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों, आजीविका, सुविधाओं तक पहुंच, स्वतंत्रता आदि को प्रभावित कर रहा है, जिससे यह सभी देशों को प्रभावित करने वाली एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए केंद्र सरकार ने वायरस की विकसित प्रकृति के अनुरूप राष्ट्र की प्रतिक्रिया को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय योजना के साथ-साथ एक बहु-आयामी, बहु-क्षेत्रीय, संपूर्ण समाज और एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार ने डी. एम. ए. 2005 को लागू करते समय आपदा की अभूतपूर्व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करते हुए एक अलग दृष्टिकोण लागू किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि महामारी की स्थिति से लड़ने के लिए इस तरह के समर्थन में कम समय में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है, जिसमें एक ओर बड़े पैमाने पर परीक्षण, उपचार और संगरोध सुविधाएं और अस्पताल सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है, जिसमें शामिल हैं -

दूसरी ओर ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, वेंटिलेटर और आई. सी. यू. सुविधाएं, जिसमें न केवल एन. डी. आर. एफ. का कोष है, बल्कि एन. डी. आर. एफ. के समेकित कोष से भी।

भारत खर्च किया जा रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक निरंतर प्रयास है, जिसे लगातार आगे बढ़ने के जवाब में आगे बढ़ाना होगा और किया जा रहा है। कोविड-19 की लहरें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य संरचना में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है जो इस प्रकार हैः

स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रकार

आधार रेखा वर्तमान

न ऑफ फील्ड

वृद्धि

स्थिति

कैट आई. सी. ओ. वी. आई. डी. समर्पित अस्पताल

4096

कैट II। समर्पित सीओवी आईडी स्वास्थ्य केंद्र

7,929

0

कैट III। समर्पित कोविड देखभाल केंद्र

0

9,954

ऑक्सीजन समर्थित बिस्तर

50,583

7.5 - गुना बढ़ाएँ

3,81,758

कुल पृथक-वास बिस्तर (आई. सी. यू. को छोड़कर)

42 - गुना बढ़ाएँ

17,17,227

41,000

बिस्तर) कुल आई. सी. यू. बिस्तर

45 - गुना बढ़ाएँ

2,500

1,13,035

पृथक रेलवे डिब्बे

5,601

0

स्वास्थ्य कार्यबल का संगठन

150, 000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी (7,024 एम. ओ., 3,680 विशेषज्ञ, 35,996 कर्मचारी) लगे हुए हैं।

नर्स, 18,649 एन. एच. डब्ल्यू., 1,01,155 सामुदायिक स्वयंसेवक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता

(आशा) और आशा सहायक, 48453 अन्य सहायक कर्मचारी)।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा संरक्षण

सी. ओ. वी. आई. डी.-19 से लड़ने वाले ए. एस. एच. सहित लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बीमा कवरेज।

परीक्षण क्षमता में वृद्धि

एए 2,621 परीक्षण प्रयोगशालाएँ (1,266 सरकारी और 1,355 निजी)

अधिकतम 22 लाख परीक्षण/दिन।
कुल मिलाकर-कोविड-19 के लिए 36.1 करोड़ से अधिक परीक्षण किए गए।

ए.

सुधार में वृद्धि

प्रवेश/निकास के सभी बंदरगाहों पर जांच, राज्य/जिला त्वरित प्रतिक्रिया दल।

अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संपर्क अनुरेखण।

रुझानों का अनुमान लगाने और उनकी निगरानी करने के लिए राज्य/शहर-विशिष्ट सीरो-निगरानी अध्ययन।

6.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी की विशिष्ट प्रकृति के कारण, स्ट्रैट जैकेट दिशानिर्देश तैयार नहीं करने की सलाह दी गई थी

और "राहत के न्यूनतम मानकों" पर पत्थर के सूत्र में एक कास्ट। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकारियों को हमेशा बदलती स्थितियों से सर्वोत्तम संभव तरीके से निपटने में सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्र के सभी वित्तीय, मानवीय, बुनियादी ढांचे और सभी संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और भविष्य की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दुनिया को पता नहीं है कि यह महामारी भविष्य में कैसे आकार लेगी, भारत संघ ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से लगातार बदलती जरूरतों के आधार पर राहत प्रदान करने के लिए एक सचेत नीतिगत निर्णय लिया है और इस तरह के कार्यों का समन्वय और निगरानी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है, जैसा कि सामान्य रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में और विशेष रूप से धारा 10 के तहत विचार किया गया है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

भारत संघ/एन. डी. एम. ए.:

कोविड-19 से निपटने के लिए नियमित वित्त पोषण किया गया है

(1)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदान किया गया;

(2)

राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए,

केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2020 को एक विशेष एकमुश्त वितरण के माध्यम से एस. डी. आर. एफ. के तहत रोकथाम उपायों के लिए सीमित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 को "अधिसूचित आपदा" के रूप में मानने का निर्णय लिया।

((i)

नमूना संग्रह के लिए संगरोध के उपाय और

स्क्रीनिंग

आवश्यक उपकरणों/प्रयोगशालाओं की खरीद

((ख)

कोविड-19 के प्रति प्रतिक्रिया।

(iii)

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से निपटने के लिए, 28 तारीख को

मार्च, 2020 में केंद्र सरकार ने राहत शिविर स्थापित करने और प्रवासी श्रमिकों और अन्य फंसे हुए लोगों को भोजन, पानी आदि प्रदान करने के लिए एस. डी. आर. एफ. के उपयोग की अनुमति दी।

(iv) 23 सितंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन उत्पादन के लिए राज्यों द्वारा एस. डी. आर. एफ. के उपयोग की अनुमति दी।

ऑक्सीजन, और कंटेनमेंट जोन की स्थापना, कोविड

19 देखभाल केंद्र।

(v)

एस. डी. आर. एफ. के तहत अनुमत रोकथाम उपायों के लिए, राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष के लिए एस. डी. आर. एफ. के तहत धन के वार्षिक आवंटन का अधिकतम 35 प्रतिशत तक खर्च करने की अनुमति दी गई थी। वित्तीय वर्षों के दौरान 35 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

(vi) राज्य सरकारों को 2020 के दौरान कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए एक बार की विशेष व्यवस्था के माध्यम से एस. डी. आर. एफ. की अपनी प्रारंभिक शेष राशि का 10 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

21 .

(vii) देश में कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से,

राज्यों को रोकथाम के लिए एस. डी. आर. एफ. के अपने वार्षिक आवंटन का 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति

वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड-19 का माप

2021-22 .

6.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 महामारी भी एक आर्थिक व्यवधान रही है। हालांकि, सरकार ने इसे कठोर बना दिया है

इसे आर्थिक संकट का विषय बनने से रोकने के प्रयास, विशेष रूप से समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए। अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कई घोषणाएं की हैं

पैकेज, गरीब और कमजोर समूहों की रक्षा करना, छोटे और मध्यम 18 व्यवसायों को सस्ता ऋण देना और कई क्षेत्रों में करों को कम करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन पैकेजों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के माध्यम से घोषित लाखों करोड़ रुपये शामिल हैं।

(पीएमएएनएसबीवाई)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आपदा के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार को या तो स्वयं या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के माध्यम से कई योजनाएं लानी पड़ीं।

ब्याज की माफी और/या ऋण खातों का पुनर्गठन। इससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से केंद्र सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है। हालांकि, केंद्र सरकार देश के स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से समझौता किए बिना अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है।

6.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भारत सरकार ने भी

भारत के लोगों को सबसे विश्वसनीय निवारक रीपैक कंसल बनाम के रूप में टीकाकरण करने का निर्णय लिया।

माप। इस वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने टीकों के उत्पादन, आपूर्ति और आयात को बढ़ाने के लिए सभी कदम उठाए हैं। 2021-22 के लिए वार्षिक बजट में, भारत सरकार ने रु। 35,000 सामूहिक टीकाकरण अभियान के लिए करोड़।

6.10 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, राष्ट्रीय निधि के तहत निधियों का विमोचन

वित्त वर्ष के लिए स्वास्थ्य मिशन 2018-19, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 इस प्रकार हैं:

एफ. वाई.	बजट एस्टीमेट (बी. ई.)	समीक्षा की गई अनुमान (आर. ई.)	विमोचन
2018-19	26, 118.05	25, 154.61	26, 027.62
2019-20	28, 783.60	27, 989.00	28, 168.81
2020-21	29, 747.84	27, 989.00	

29, 316.75

31, 100.00

1621.70

एन. ए

2021-22

6.11 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2019-20 में, इसके अलावा

ऊपर, रुपये की राशि। 1113.21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एन. एच. एम. के तहत उनके सामान्य संसाधन लिफाफे के अलावा कोविड-19 के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए करोड़ रुपये जारी किए गए। यह राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) की बचत से जारी की गई थी। इसलिए, एन. एच. एम. के तहत कुल रिलीज (कोविड-19 सहित): रु. 29, 282.02 करोड़ (रु। 28, 168.81 सी. आर. + 1 रुपया, 113.21 सी. आर)।

6.12 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के संबंध में,

उपरोक्त के अलावा, रुपये की राशि। 8257.89 कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और रोकथाम के लिए एन. एच. एम. के माध्यम से भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

आपातकालीन कोविड राहत पैकेज के तहत वित्तीय सहायता

वास्तविक

व्यय

एस.

स्वीकृत बजट

कार्यक्रम

(2 जून

21 को)

(दिसंबर 2020)

नहीं।

(करोड़ रुपये में)

(करोड़ रुपये

में) (%)

1

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8,310

7580.14

91.2

इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल

2,475

51.5

2

1275.00

अनुसंधान

राष्ट्रीय रोग केंद्र

95

74.10

78.0

3

नियंत्रण

4

केंद्रीय खरीद प्रभाग

99.7

3389.70

3,400

5 रेल मंत्रालय

720

720.00

100.0

कुल

15,000

13038.97

6.13 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रार्थना के संबंध में

याचिकाकर्ता को राहत कार्यों में अपनी सेवाएं प्रदान करते समय या जब वे कोविड-19 के कारण मारे गए मृतक व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि/सहायता की अनुमति देने के लिए कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए तैयारी गतिविधियों से जुड़ी केंद्र सरकार ने अपने सक्रिय और खाली करने से पहले के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की शुरुआत की थी।

पहले से ही 30.03.2020 पर। इस योजना के तहत, एक लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर। 50 देश भर में लाख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाख रुपये प्रदान किए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हैं, जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहे होंगे और जिन पर इससे प्रभावित/संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, आगे के कारण अभूतपूर्व स्थिति, निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय

शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/तदर्थ/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)/केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कर्मचारियों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया था। उक्त योजना के तहत लाभों को 180 दिनों (डब्ल्यू. ई. एफ. 24.04.2021) की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी के माध्यम से लागू की जा रही है। दावों की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए, एक नई प्रणाली शुरू की गई है जिसके अनुसार दावों को अब जिला कलेक्टरों द्वारा संसाधित किया जा रहा है और दावेदारों को धन जारी करने के लिए बीमा कंपनी को भेजा जा रहा है। अब तक, 442.4

इस संबंध में बीमा कंपनी को एक करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें, योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के 477 दावों को पहले ही लाभ दिया जा चुका है, और स्वास्थ्य कर्मियों के 344 दावे प्रक्रिया में हैं।

6.14 यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा जोखिम प्रबंधन (डी. आर. एम.) का वित्तपोषण भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत राशि का आवंटन;

एस. डी. आर. एफ. और एन. डी. आर. एफ. का गठन और प्रशासन और एस. डी. आर. एफ./एन. डी. आर. एफ. से राहत सहायता प्रदान करने के लिए मद और मानदंड क्रमिक वित्त आयोगों की संवैधानिक सिफारिशों पर आधारित हैं। यह आगे कहा गया है कि क्रमिक वित्त आयोग, आपदा जोखिम प्रबंधन के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, रीपैक कंसल बनाम।

12 चिन्हित आपदाओं और तदनुसार 12 आपदाओं के पीड़ितों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए व्यय की सिफारिश की है। चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और पाला और शीत लहर, इन निधियों से राहत प्रदान की जाती है, जिसका उल्लेख दिनांक 08.04.2015 के ज्ञापन में किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 15 वें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ एन. डी. आर. एफ. और एस. डी. आर. एफ. के तहत आवंटन करते हुए अपनी रिपोर्ट के अध्याय 8 के पैरा 8.11 में कोविड-19 महामारी के वित्तपोषण के मुद्दे से निपटने के लिए चुना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें प्राप्त अनुभव और अभूतपूर्व कोविड-19 के संदर्भ के आलोक में की गई हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस रिपोर्ट में आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए सिफारिशें की गई हैं, जिसमें पारंपरिक प्रतिक्रिया और राहत कार्यों से परे आपदा प्रबंधन के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें तैयारी, शमन, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण शामिल हैं, जैसा कि XVth वित्त के अध्याय 8 में परिलक्षित होता है।

आयोग की रिपोर्ट। यह प्रस्तुत किया जाता है कि XVth वित्त आयोग की यह रिपोर्ट स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष रखी गई थी, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि XVth वें वित्त आयोग और डोमेन विषय विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार,

भारत संघ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत विचार किए गए राहत के न्यूनतम मानकों के स्ट्रैटजैकेट सूत्र में प्रतिक्रिया तैयार करने के बजाय, भविष्य की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के सभी वित्तीय, मानव और बुनियादी ढांचे के संसाधनों का तर्कसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए, वायरस कोविड-19 के उत्परिवर्तन के अत्यंत संक्रामक, अस्थिर और हमेशा बदलते प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति तैयार की।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मुद्दा राजकोषीय सामर्थ्य का नहीं है,

बल्कि राजकोषीय और राष्ट्र के अन्य सभी संसाधनों का सबसे तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और इष्टतम उपयोग।

6.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, एक के संदर्भ की सराहना करने के लिए

' अनुग्रह राशि भुगतान, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 को धारा 46 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें उप-धारा 46 (2) निम्नानुसार हैः

" राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बनाया जाएगा।

आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के लिए उपलब्ध [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत के खर्चों को पूरा करने की दिशा में

और राष्ट्रीय सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास

प्राधिकरण "।

केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोविड-19 को पहले ही "अधिसूचित आपदा" घोषित कर चुकी है। इस प्रकार यह उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.) ने "राहत के न्यूनतम मानकों" के लिए पहले ही सामान्य दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत। हालांकि, जानमाल के नुकसान के कारण 'अनुग्रह राशि' सहायता के मुद्दे पर, दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि एस. डी. आर. एफ. से सहायता के लिए भारत सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा प्रदान किए गए मानदंड राहत के न्यूनतम मानक होने चाहिए।

6.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि XVth वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.141 में राज्य के अनुरोध पर विचार किया था

एस. डी. आर. एफ./एन. डी. आर. एफ. के तहत आपदाओं की योग्य सूची के तहत कई आपदाओं को शामिल करने के लिए सरकारें। इसमें, विचार के बाद, पैरा में

8.143 आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एस. डी. आर. एम. एफ.) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एन. डी. आर. एम. एफ.) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची में राज्यों की जरूरतों को काफी हद तक शामिल किया गया है और इस प्रकार राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एस. डी. आर. एम. एफ.) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एन. डी. आर. एम. एफ.) से वित्त पोषण के लिए पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची में राज्यों की जरूरतों को बढ़ाने के अनुरोध में बहुत अधिक योग्यता नहीं पाई गई है।

दायरा।

6.17 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 14 मार्च, 2020 को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए एस. डी. आर. एफ. के तहत रोकथाम उपायों की दिशा में सीमित सहायता के उद्देश्य से एक विशेष एकमुश्त वितरण के माध्यम से कोविड-19 को "अधिसूचित आपदा" के रूप में मानने का निर्णय लिया गया, जिसमें (i) नमूना संग्रह और जांच के लिए संगरोध के उपाय (ii) कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों/प्रयोगशालाओं की खरीद शामिल है। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से निपटने के लिए, 28 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार ने राहत शिविर स्थापित करने और प्रवासी श्रमिकों और अन्य फंसे हुए लोगों को भोजन, पानी आदि प्रदान करने के लिए एस. डी. आर. एफ. के उपयोग की अनुमति दी। 23 सितंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यों में कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन उत्पादन के लिए राज्यों द्वारा एस. डी. आर. एफ. के उपयोग की अनुमति दी, ताकि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए परिवहन सेवाओं को मजबूत किया जा सके और नियंत्रण क्षेत्र, कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित किए जा सकें।

6.18 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आपदा प्रबंधन की धारा 46 (2) के तहत जारी एस. डी. आर. एफ./एन. डी. आर. एफ. दिशानिर्देशों के तहत अनुग्रह राशि का भुगतान।

अधिनियम, 2005 उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित 12 अधिसूचित आपदाओं और अन्य स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के मामले में मारे गए हैं। हालांकि, एस. डी. आर. एम. एफ./एन. डी. आर. एम. एफ. से राहत उपायों के वित्तपोषण के लिए XVth वित्त आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी/आपदा की सिफारिश नहीं की गई है, जिसमें अनुग्रह राशि भी शामिल है।

6.19 जहां तक बीमा पर 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.131 में 4 बीमा हस्तक्षेपों का प्रस्ताव दिया है, जिनका एन. डी. एम. ए. और संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनकी व्यवहार्यता के बारे में आगे अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयोग की सिफारिशें एन. डी. एम. ए. द्वारा संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के अधीन हैं।

6.19. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, वर्तमान में कोई दिशानिर्देश/नीति/नहीं है।

एन. डी. एम. ए. में योजना जो राष्ट्रीय बीमा तंत्र से संबंधित है जिसका उपयोग कोविड-19 के कारण आपदा से संबंधित मौतों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि XVth वें वित्त आयोग ने चार बीमा हस्तक्षेपों का प्रस्ताव दिया है जिनका एन. डी. एम. ए. और संबंधित मंत्रालयों द्वारा उनकी व्यवहार्यता के लिए आगे अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये हस्तक्षेप

ये हैं:

16.1 आपदा से संबंधित मौतों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना
16.2 फसल बीमा के साथ राहत सहायता का समन्वय

16.3 बुनियादी ढांचे के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति के लिए जोखिम पूल

16.4 बाहरी खतरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा तक पहुंच

घटनाएँ

6.19. 2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस संदर्भ में, फरवरी 2020 में,

' जोखिम बीमा पर राष्ट्रीय कार्यशाला मुंबई में आयोजित की गई जिसमें सदस्य सचिव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन. आई. डी. एम.), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई. आर. डी. ए. आई.), राज्यों के अधिकारी और प्रमुख बीमा कंपनियां शामिल हुईं। इसके बाद कार्यशाला, सदस्य सचिव (एन. डी. एम. ए.) के सुझाव पर, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ जोखिम बीमा कवरेज पर विचार-विमर्श के लिए एन. आई. डी. एम., एन. डी. एम. ए., आई. आर. डी. ए. आई. के सदस्यों के साथ-साथ बीमा कंपनियों के सी. ई. ओ./अध्यक्ष को शामिल करते हुए एक कार्य समूह (डब्ल्यू. जी.) का गठन किया गया था। अप्रैल, 2021 में मंत्रालय के डीएम डिवीजन [2021] 6 एस. सी. आर. को सौंपी गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में।

एन. आई. डी. एम. ने एन. डी. एम. ए., एन. आई. डी. एम. और डब्ल्यू. जी. द्वारा प्रायोगिक परियोजना के लिए चुने गए प्रस्तावित राज्यों के साथ एक संयुक्त बैठक/सत्र आयोजित करने का अनुरोध किया। 6.19. 3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि राज्य प्रमुख हितधारक हैं और प्रस्तावित बीमा योजनाओं के लाभार्थी भी हैं, इसलिए उनके

सिफारिशें और नुकसान के आंकड़ों की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर आगे बढ़ने से पहले विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, बीमा कवरेज

विचार-विमर्श में कोविड-19 जैसी महामारियों या महामारियों से जोखिम बीमा शामिल नहीं है।

6.19. 4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, एशियाई विकास बैंक

(एडीबी) ने भारत में बीमा सहित आपदा जोखिम हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए एक नई एडीबी तकनीकी सहायता (टीए) अवधारणा का भी प्रस्ताव किया है। एडीबी अपने टीए के माध्यम से भारतीय राज्यों के लिए आपदा जोखिम वित्तपोषण समाधान विकसित करने के लिए तत्पर है। इस संबंध में एडीबी और एन. डी. एम. ए. के बीच आई. डी. 1 पर एक बैठक भी आयोजित की गई। इसमें, बैठक के दौरान, एडीबी ने एक संकर बीमा समाधान यानी पैरामीट्रिक बीमा और क्षतिपूर्ति बीमा के संयोजन का प्रस्ताव रखा; और एन. डी. एम. ए., वित्तीय सेवा विभाग (डी. एफ. एस.) और एम. एच. ए. के बीच एक संयुक्त बैठक का भी प्रस्ताव रखा।

6.19. 5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. डी. एम. ए. ने ए. डी. बी. से एम. एच. ए./डी. एफ. एस. की सुविधा के अनुसार प्रस्तावित बैठक आयोजित करने और सूचित करने का अनुरोध किया है।

तदनुसार एन. डी. एम. ए.। हालाँकि, 12.04.2021 पर निर्धारित बैठक को महामारी की दूसरी लहर के कारण स्थगित करना पड़ा। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है और जैसा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है, सभी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता बीमा के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण यहाँ ऊपर दिया गया है।

6.20 अब जहां तक मृत्यु के सही कारण के साथ सही और सटीक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मुद्दा है

कोविड-19 और कोविड-19 से हुई मौतों की रिकॉर्डिंग का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक वैधानिक तंत्र है और उसी पर दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत निर्धारित एक आपराधिक अपराध होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोविड-19 से होने वाली किसी भी मृत्यु को प्रमाणित करना होगा, अर्थात, कोविड मृत्यु के रूप में, जिसमें विफल रहने पर, सभी जिम्मेदार (प्रमाणित करने वाले डॉक्टर सहित) दंडात्मक परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे।

रीपाक कंसल बनाम। भारत और अन्य का संघ

[एम. आर. शाह, जे.]

6.20. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयुक्त के लिए व्यापक दिशानिर्देश

भारत में कोविड-19 से संबंधित मौतों की रिकॉर्डिंग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई. सी. एम. आर.) द्वारा तैयार की गई थी और इसे लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए आई. डी. 1 पर जारी किया गया था और बाद में आई. सी. एम. आर. की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके बारे में आगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया। इसके बाद मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी जानकारी दी। यह मार्गदर्शन कोविड-19 से संबंधित मौतों के लिए डॉक्टर के प्रमाणन में मदद और मार्गदर्शन करने के लिए है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सकारात्मक मौतें, कोविड-19 से संबंधित मौतों को शामिल करती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे ये दिशानिर्देश विश्व स्वास्थ्य संगठन की मृत्यु दर संहिता के अनुरूप हैं।

6.20. 2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के प्रश्न पर, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण इसके तहत किया जाता है

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 नामक केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान। यह अधिनियम वर्ष 1969 में अधिनियमित किया गया था और देश भर में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में एकरूपता और तुलनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 1970 से अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था।

6.20. 3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के महापंजीयक पंजीकरण की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करते हैं

पूरे देश में और साथ ही राज्य सरकारों को संबंधित प्रशासन की विशेषताओं के अनुकूल पंजीकरण की एक कुशल प्रणाली विकसित करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करना।

6.20. 4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि, कोरोना वायरस के कारण महामारी के संदर्भ में, भारत के महापंजीयक (ओआरजीआई) के कार्यालय ने जारी किया था

अप्रैल, 2020 के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य पंजीयकों को मृत्यु के कारण की जानकारी एकत्र करने और प्रमाणित करने के लिए निर्देश/दिशा-निर्देश

6.20. 5 जहाँ तक मृत्यु लेखापरीक्षा और मृत्यु प्रमाणन के संबंध में दिशानिर्देशों का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने दिनांकित पत्र के माध्यम से 09.10.2020 'मृत्यु लेखा परीक्षा' और 'मृत्यु प्रमाणन' के बीच अंतर पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृत्यु को दर्ज करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार 'मृत्यु प्रमाणन' किया जाना आवश्यक है।

भारत के महापंजीयक। मृत्यु के कारण (मृत्यु प्रमाण पत्र) के प्रमाणन का प्राथमिक लक्ष्य चिकित्सा स्थिति (जैसे, कोविड-19) के कारण होने वाली सभी मौतों की पहचान करना और उन्हें सही ढंग से वर्गीकृत करना और कोडिंग में किसी भी विसंगति को समाप्त करना है ताकि कोविड के बोझ का सही अनुमान प्राप्त किया जा सके।

19 मौतें। कोविड-19 के निदान के साथ होने वाली सभी मौतों को, चाहे कोई भी सह-रुग्णता हो, कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकमात्र अपवाद हो सकता है जहां एक स्पष्ट है

मृत्यु का वैकल्पिक कारण, 47 जिसे कोविड-19 (जैसे, आकस्मिक आघात, विषाक्तता, तीव्र मायोकार्डियल इंफार्क्शन, आदि) के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जहां कोविड-19 एक आकस्मिक खोज है। 49. जबकि, दूसरी ओर, 'मृत्यु लेखा परीक्षा' एक प्रशासनिक अभ्यास है जो अंतराल की पहचान करने के लिए है

रोगियों की मृत्यु में योगदान देता है। इसका उद्देश्य भविष्य को रोकने/कम करने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपायों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मौतें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा ही सांकेतिक प्रारूप के अनुसार किया जाना है।

6.21 भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने जोर देकर कहा है कि

डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 की व्याख्या करते हुए, "होगा" शब्द को "मई" के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, जिससे भारत संघ द्वारा उठाए गए विशिष्ट तथ्यों और व्यापक कदमों के आलोक में प्रावधान निर्देशिका/विवेकाधीन और अनिवार्य नहीं हो जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने "हो सकता है", "होगा" और "होना चाहिए" के बीच परस्पर क्रिया पर निर्णयों के एक समूह में, शायद ही कभी वाक्यांशों को उनकी साहित्यिक व्याख्या के लिए रखा है, लेकिन इसके बजाय मौजूदा परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ विधायिका के इरादे पर गौर किया है। बच्चन देवी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। नगर निगम, गोरखपुर, (2008) 12

एससीसी 372। 7. संबंधित याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और संबंधित याचिकाओं में मांगी गई राहत को सुनने के बाद, राहत /

याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन. डी. एम. ए.)/केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्देश देना।

रुपये का मुआवजा। 4 डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले मृतक व्यक्तियों के परिवारों को एक लाख रुपये या अधिसूचित अनुग्रह राशि मौद्रिक मुआवजा; रीपैक कंसल बनाम.

(ख) उत्तरदाताओं/राज्य सरकारों को आपदा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने का निर्देश देना; iii) उत्तरदाताओं को एक उचित निर्देश जारी करना-राज्य सरकारें मृत्यु का कारण बताते हुए कोई भी आधिकारिक दस्तावेज जारी करें,

मृतक के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई; और

iv) उत्तरदाताओं-भारत संघ और अन्य लोगों को कोविड-19 के पीड़ितों को सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने का निर्देश देना।

7.1 मांग की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों/राहतों पर विचार करते समय, वित्तीय स्थिति वाले नीतिगत निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश

प्रभाव जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और जो अन्य प्राथमिकताओं को भी प्रभावित कर सकते हैं और जो प्रभावित कर सकते हैं

डी. एम. ए. 2005 के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घोषित सरकार की अन्य योजनाओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

7.2 इस न्यायालय द्वारा 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 476 (लघु पैमाने) में हाल के फैसले में एक समान प्रश्न पर विचार किया गया।

औद्योगिक विनिर्माता संघ (विनियमित) v. भारत संघ और अन्य) ने 23.03.2021 (2021 (4) स्केल 415) पर निर्णय लिया, और इस न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विस्तार से विचार करने का अवसर था। न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे पर इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, पैराग्राफ 14 से 20 में, इस न्यायालय ने अवलोकन किया है और निर्णय दिया है

निम्नानुसारः

i) न्यायालय शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा या व्यापार और वाणिज्य की पेचीदगियों से संबंधित नहीं होगा। (ii) यह
न तो न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में है और न ही इसके दायरे में है।

न्यायिक समीक्षा इस बात की जांच शुरू करने के लिए कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान है या क्या बेहतर सार्वजनिक नीति विकसित की जा सकती है। न ही अदालतें याचिकाकर्ता के कहने पर केवल इसलिए किसी नीति को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह आग्रह किया गया है कि एक अलग

नीति निष्पक्ष या बुद्धिमान या अधिक वैज्ञानिक या अधिक तार्किक होती। आर्थिक नीति की बुद्धिमत्ता और सलाह आमतौर पर दी जाती है।

iii) आर्थिक और राजकोषीय नियामक उपाय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ न्यायाधीशों को बहुत सावधानी से अतिक्रमण करना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इन मामलों में।

14.1 आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ (1981) 4 एस. सी. सी. 675 में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानूनों को नागरिक कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। बोलने की स्वतंत्रता, धर्म आदि जैसे अधिकार। यह आगे देखा गया है कि विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसे उन जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या जलडमरूमध्य सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करती हैं और यह विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है।

14.2 अरुण कुमार अग्रवाल बनाम के मामले में। भारत संघ (2013) 7 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय को मेट्रोपोलिस थिएटर कंपनी के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार करने का अवसर मिला। शिकागो, 57 एल एड 730: 228 यूएस 61 (1913):

" ..... सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं और यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो मोटे समायोजन, अतार्किक, यदि हो सकता है, और अवैज्ञानिक को उचित ठहरा सकती हैं। लेकिन ऐसी आलोचना भी नहीं होनी चाहिए।

जल्दबाजी में व्यक्त किया। जो सबसे अच्छा है वह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है; किसी भी विकल्प के ज्ञान पर विवाद या निंदा की जा सकती है। केवल सरकार की त्रुटियाँ हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। यह केवल इसके स्पष्ट रूप से मनमाने अभ्यास हैं जिन्हें अमान्य घोषित किया जा सकता है।

14.3 एम. पी. बनाम राज्य के मामले में यह न्यायालय। नंदलाल जैसवाल (1986) 4 एस. सी. सी. 566 ने पाया है कि सरकार, जैसा कि पर्मियन बेसिन क्षेत्र दर मामलों, 20 एल एड (2 डी) 312 में निर्धारित किया गया है, व्यावहारिक समायोजन करने की हकदार है जो विशेष परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो सकते हैं। न्यायालय राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि एक और नीतिगत निर्णय निष्पक्ष या बुद्धिमानी भरा होता।

अधिक वैज्ञानिक या तार्किक। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब नीतिगत निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण हो।

14.4 बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमन) के मामले में v. भारत संघ (2002) 2 एस. सी. सी. 333, इस न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक नीतियों की विवेक और सलाह आमतौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि नीति किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के विपरीत है।

शब्दों में, यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे विभिन्न आर्थिक नीतियों के सापेक्ष गुणों पर विचार करें और विचार करें कि क्या एक बुद्धिमान या बेहतर विकसित किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि आर्थिक मामलों पर नीतिगत निर्णय के मामले में अदालतों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

जाँच या जाँच करना और अधिक अनिच्छुक होना चाहिए

उन विशेषज्ञों के निर्णय का खंडन करना जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे जब तक कि अदालत का समाधान नहीं हो जाता है कि निर्णय में ही अवैधता है।

14.5 पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के मामले में। लिमिटेड वी. भारतीय रिज़र्व बैंक, (1992) 2 एस. सी. सी. 343, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है। यह भी देखा गया है कि सांविधिक शक्तियों के साथ निवेशित एक सार्वजनिक निकाय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी शक्तियों से अधिक या दुरुपयोग न करे।

शक्ति। इसे अपने लिए प्रतिबद्ध प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर रखना चाहिए। इसे सद्भावना से कार्य करना चाहिए और उचित रूप से कार्य करना चाहिए। न्यायालयों को आर्थिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करना है जिसका कार्य है -

विशेषज्ञ। आर्थिक नीति के मामलों पर निर्णय देना अदालतों का काम नहीं है और यह आवश्यक रूप से विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ भी गंभीरता से और निस्संदेह भिन्न हो सकते हैं। अदालतों से विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उनका फैसला करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

यह आगे देखा गया है कि कुछ अन्य निर्देशों में संशोधन करना और उन्हें निर्धारित करना न्यायालय का कार्य नहीं है। न्यायालय का कार्य वित्तीय और आर्थिक नीतियों से संबंधित मामलों में सलाह देना नहीं है, जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसे निकाय पूरी तरह से सक्षम हैं। अदालत आर. बी. आई. द्वारा जारी किए गए कुछ या पूरे निर्देशों को केवल तभी रद्द कर सकती है जब अदालत का समाधान हो कि निर्देश पूरी तरह से अनुचित थे या संविधान या किसी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे थे। अदालतों के लिए किसी अज्ञात रास्ते पर चलना खतरनाक और जोखिम भरा होगा और इस तरह का काम विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ देना चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि आर्थिक नीति के मामले सरकार पर छोड़ दिए जाने चाहिए।

14.6 नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम के मामले में। भारत संघ, (2000) 10 एस. सी. सी. 664, पैरा 229 और 233 में, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता है:

" 229. अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतें, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, नीतिगत निर्णय के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेंगी। अवसंरचनात्मक परियोजना होनी चाहिए या नहीं और किस प्रकार की परियोजना शुरू की जानी है और इसे कैसे निष्पादित किया जाना है, ये नीति-निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अदालतें इस तरह से किए गए नीतिगत निर्णय पर निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि निर्णय लेने में किसी भी कानून का उल्लंघन न हो और संविधान के तहत अनुमत सीमा के अलावा लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

233. साथ ही, अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग करते हुए

न्यायालय को सरकारी कर्तव्यों या कार्यों के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए या उन्हें नहीं चलाया जाना चाहिए। अदालतें सरकार नहीं चला सकतीं और न ही प्रशासन शक्ति के दुरुपयोग या गैर-उपयोग में लिप्त हो सकता है और इससे बच सकता है। न्यायिक समीक्षा का सार एक संवैधानिक आधार है। संविधान के तहत उच्च न्यायपालिका की भूमिका संविधान के मूल्यों और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक प्रहरी के रूप में एक बड़ा दायित्व है। इसलिए अदालतों को कानून के शासन को बनाए रखने और जनहित में अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपनी न्यायिक अनुमत सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए। ठीक इसी कारण से इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नीति संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब कोई वैध कानून होता है जिसमें सरकार को एक विशेष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो अदालत को कानून को निरस्त किए बिना ऐसा कोई निर्देश नहीं देना चाहिए जो कानून के अनुसार न हो। दूसरे शब्दों में, न्यायालय स्वयं कानून से ऊपर नहीं है।

14.7 प्राग आइस एंड ऑयल मिल्स बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1296, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" हम यह नहीं सोचते कि आर्थिक नीति के ऐसे मामलों पर निर्णय देना न्यायालय का कार्य है, जिन्हें अनिवार्य रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए।

निर्णय लेने के लिए दिन की सरकार को। उनमें से कई अंतिम परिणामों की भविष्यवाणी के मामले हैं जिन पर विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से गलती कर सकते हैं और निस्संदेह भिन्न हो सकते हैं। अदालतों से निश्चित रूप से विशेषज्ञों की सहायता के बिना भी उनका फैसला करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

14.8 पी. टी. आर. एक्सपोर्ट्स (मद्रास) पी. लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1996) 5 एस. सी. सी. 268, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

" आर्थिक नीति के मामलों में, यह तय कानून है कि न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका को एक बड़ी छूट देता है।

एक ही "। 15. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा क्या है और किस तरीके से और किस हद तक वित्तीय राहत/पैकेज तैयार किए जाएं, पेश किए जाएं और लागू किए जाएं, यह अंततः सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञों की सहायता और सलाह पर तय किया जाता है। एक ही है

विशेष रूप से केंद्र सरकार के प्रांत के भीतर निर्णय के लिए मामला। इस तरह के मामले आमतौर पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति को आकर्षित नहीं करते हैं। केवल इसलिए कि कुछ वर्ग/क्षेत्र ऐसे पैकेज/नीतिगत निर्णयों से सहमत और/या संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, आम तौर पर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जब तक कि ऐसी नीति न हो।

दुर्भावना, मनमानेपन, अन्याय के आधार पर दोष दिया जा सकता है

आदि। 16. ऐसे मामले हैं जिनके बारे में अदालतों के न्यायाधीशों और वकीलों से उनके प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के कारण शायद ही अधिक ज्ञान होने की उम्मीद की जा सकती है। आर्थिक और राजकोषीय

विनियामक उपाय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ न्यायाधीशों को बहुत सावधानी से अतिक्रमण करना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश इन मामलों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं।

17. उन कारणों की शुद्धता जिसने सरकार को निर्णय लेने के बजाय एक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया

दूसरा न्यायिक समीक्षा में चिंता का विषय नहीं है और अदालत इस तरह की जांच के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि केवल वही इसे अपना सकती है। विभिन्न कोणों से बिंदुओं पर विचार करने के बाद कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार के निर्णय के औचित्य का आकलन करने में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, भले ही सरकार से दूसरा विचार संभव हो।

18. नीति की वैधता, न कि नीति की बुद्धिमत्ता या दृढ़ता, न्यायिक समीक्षा का विषय है। सरकारी नीति की न्यायिक समीक्षा का दायरा अब अच्छी तरह से परिभाषित है। अदालतें किसी नीति की शुद्धता, स्थिरता और उपयुक्तता की जांच करने वाले अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करती हैं और न ही नीति के मामलों पर अधिकारियों के लिए अदालत के सलाहकार हैं जिन्हें अधिकारी तैयार करने के हकदार हैं।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. सरकार को अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करनी होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों को राहत देनी होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया और कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया। हालाँकि, साथ ही, सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, आम लोगों/प्रवासियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने, परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों में विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता है।

प्रवासियों आदि की और इसलिए, सरकार ने

विभिन्न वित्तीय पैकेज/राहतों की घोषणा की। यहां तक कि

यह आम तौर पर किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह नीति के फायदे और नुकसान का आकलन करे या इसकी जांच करे और परिवर्तन के उद्देश्य से इसके लाभकारी या न्यायसंगत स्वभाव की डिग्री का परीक्षण करे। इसे संशोधित या रद्द करना, चाहे वह कितना भी अच्छा और अच्छा लगे

तर्क, केवल वहाँ जहाँ यह मनमाना और किसी का उल्लंघन करने वाला हो संवैधानिक, वैधानिक या कानून के कोई अन्य प्रावधान। कब

सरकार अपनी नीति बनाती है, यह कई बातों पर आधारित है -

तथ्यों पर परिस्थितियाँ, इसके आधार पर बाधाओं सहित कानून संसाधन। यह विशेषज्ञ की राय पर भी आधारित है। यह खतरनाक होगा यदि अदालत को हलफनामों पर निर्धारित तथ्यों के आधार पर नीति की उपयोगिता, लाभकारी प्रभाव या इसके मूल्यांकन का परीक्षण करने के लिए कहा जाता है।

7.3 हालांकि, उसी समय, यदि वैधानिक प्राधिकरण/प्राधिकरण ने क़ानून या रीपैक कंसल v के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का प्रयास किया है।

संवैधानिक कर्तव्य, एक आदेश जारी किया जा सकता है जो प्राधिकरण को क़ानून के तहत दिए गए अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को अपने वैधानिक कर्तव्य/संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश देते हुए एक अनिवार्य रिट जारी करना पूरी तरह से उचित होगा।

8. वर्तमान याचिकाओं में मांगी गई राहतों पर ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा का दायरा।

रुपये के अनुग्रह मुआवजे के लिए प्रार्थना करते हुए। 4 कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को लाख रुपये, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 और दिनांकित 8.4.2015 पत्र में निहित पहले के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है, जिसके द्वारा भुगतान करने का प्रावधान किया गया था। रु. 4 आपदा के कारण मरने वाले व्यक्तियों के रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि के रूप में एस. डी. आर. एफ. और एन. डी. आर. एफ. से एक लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। डी. एम. ए. 2005 की धारा 12, जिस पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है, निम्नानुसार हैः

12. राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश। -द.

राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा, जिसमें शामिल होंगेः

राहत शिविरों में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएँ

((i)

आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में;

विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधान;

((ख)

(iii)

जानमाल के नुकसान के कारण भी अनुग्रह सहायता

घरों को नुकसान के कारण सहायता और

आजीविका के साधनों की बहाली;

((iv)

ऐसी अन्य राहत जो आवश्यक हो।

8.1 संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 द्वारा अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण को आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करनी होगी, जिसमें अनुग्रह राशि शामिल होगी।

8.2 दूसरी ओर, भारत संघ की ओर से यह मामला है कि धारा 12 में प्रयुक्त शब्द "होगा" को "मई" के रूप में पढ़ा जा सकता है और इसे निर्देशिका/विवेकाधीन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और इसे "अनिवार्य" के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। भारत संघ की ओर से यह भी मामला है कि विभिन्न योजनाएं प्रदान करके और विभिन्न कदम उठाकर [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार ने पहले ही एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. से प्रावधान करके राहत का एक प्रावधान/न्यूनतम मानक प्रदान किया है, जिसे डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के तहत राहत कहा जा सकता है। भारत संघ की ओर से यह भी मामला है कि यह वित्तीय अक्षमता का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल अन्य क्षेत्रों/क्षेत्रों/राहत को प्राथमिकता देने का है, जबकि आपदा या शमन से निपटने के लिए अन्य उपाय किए जाएं।

संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण। यह भारत संघ की ओर से मामला है कि रुपये का अनुग्रह मुआवजा देने के बजाय। 4 कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को एक लाख रुपये, वित्त आयोग और/या भारत संघ द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है कि वे एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. से निधि का प्रावधान करें और/या उपयोग करें।

टीकाकरण, आई. सी. यू. सुविधाएँ और अन्य संबद्ध मामले जिनमें प्रदान करना शामिल है। बी. पी. एल./प्रवासी मजदूरों को भोजन, और अनुग्रह सहायता का भुगतान नहीं करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन और डी. एम. ए. 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है। 9.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 आपदाओं के प्रभावों की रोकथाम और शमन के लिए और किसी भी आपदा स्थिति के लिए एक समग्र, समन्वित और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अधिनियमित किया गया है। आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन पर यह अधिनियमित किया गया है, जिससे सरकार की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। उपरोक्त उद्देश्य और उद्देश्य के साथ, डी. एम. ए. 2005 अधिनियमित किया गया है।

9.2 डी. एम. ए. 2005 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

मंत्री। इसमें जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के गठन का भी प्रावधान है। यह संबंधित मंत्रालयों या विभागों के लिए भी प्रावधान करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार विभागवार योजनाएं तैयार करना। इसमें राष्ट्रीय आपदा के गठन का भी प्रावधान है।

प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा आर. ई. पी. ए. के. कंसल संस्थान की स्थापना।

सीमेंट। यह राष्ट्रीय संविधान का भी प्रावधान करता है।

राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रतिक्रिया और आपदा शमन के लिए राष्ट्रीय कोष के लिए समान निधि। राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन डी. एम. ए. 2005 की धारा 3 के तहत किया गया था। धारा 6 राष्ट्रीय प्राधिकरण के दायित्व और कार्यों का प्रावधान करती है, जो निम्नानुसार हैः

6. राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य। — (1) विषय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय प्राधिकरण की होगी।

आपदा के लिए।

(2) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

उप-धारा (1), राष्ट्रीय प्राधिकरण (अ)

आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ निर्धारित करना;

राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दें;

(ख)

मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को मंजूरी देना।

((ग)

राष्ट्रीय योजना के अनुसार भारत सरकार का;

राज्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करें

((घ)

राज्य योजना तैयार करने में;

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निर्धारित करें

(ई)

या आपदा की रोकथाम के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार के विभाग या उनकी विकास योजनाओं में इसके प्रभावों को कम करना और

परियोजनाएँ;

नीति के प्रवर्तन और कार्यान्वयन का समन्वय करना

(च)

और आपदा प्रबंधन के लिए योजना;

शमन के उद्देश्य से धन के प्रावधान की सिफारिश करना;

(जी)

(ज)

प्रमुख से प्रभावित अन्य देशों को इस तरह की सहायता प्रदान करें

आपदाएँ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं;

((i)

आपदा की रोकथाम के लिए ऐसे अन्य उपाय करना, या

संकट की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए शमन, या तैयारी और क्षमता निर्माण, जो वह आवश्यक समझे;

कार्यप्रणाली के लिए व्यापक नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

(जे)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान; [2021] 6 एस. सी. आर.

(3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास, आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रीय प्राधिकरण की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति होगी, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग अधीन होगा।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा पूर्व कार्योत्तर अनुसमर्थन।

9.3 अधिनियम की धारा 7 सलाहकार के गठन का प्रावधान करती है।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाई गई समिति जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे और जिन्हें राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव होगा। आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें। अधिनियम की धारा 8 अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान करती है। धारा 10 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करती है और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता करेगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी रखेगी और देश में आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। डी. एम. ए. 2005 की धारा 10 निम्नानुसार है:

" 10. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शक्तियाँ और कार्य

समिति। - (1) राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय प्राधिकरण की सहायता करेगी और राष्ट्रीय प्राधिकरण की नीतियों और योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी होगी और आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

देश में।

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति

(क) आपदा के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करना।

प्रबंधन;

राष्ट्रीय योजना तैयार करें जिसे राष्ट्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए

(ख)

प्राधिकरण;

(ग) राष्ट्रीय कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना।

नीति;

आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करें

((घ)

सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा

भारत और राज्य प्राधिकरणों के; रीपैक कंसल बनाम।

(ङ) राज्य को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए सरकारें और राज्य प्राधिकरण;

राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना और

(च)

मंत्रालयों या विभागों द्वारा तैयार की गई योजनाएं

भारत सरकार;
द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना

(जी)

उपायों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण मंत्रालयों द्वारा आपदाओं की रोकथाम और शमन या

अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में विभाग;

(ज)

निगरानी, समन्वय और संबंधित निर्देश दें
सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले शमन और तैयारी के उपाय;

((i)

सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी का मूल्यांकन करें

किसी भी खतरे वाली आपदा या आपदा का जवाब देने और जहां आवश्यक हो, निर्देश देने का उद्देश्य,

ऐसी तैयारी को बढ़ाने के लिए;

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाएं और उनका समन्वय करें

(जे)

विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन, कर्मचारी और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ता;

किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति में समन्वय प्रतिक्रिया

(के)

स्थिति या आपदा; संबंधित के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करें या उन्हें निर्देश दें।

(1)

भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग, राज्य सरकारें और राज्य प्राधिकरण

आपदा की स्थिति या आपदा; सरकार के किसी भी विभाग या एजेंसी की आवश्यकता होती है

(एम)

आपातकालीन प्रतिक्रिया, बचाव और राहत के उद्देश्यों के लिए एन. ए. सामग्री संसाधनों को उपलब्ध कराना;

(एन)

मंत्रालयों की गतिविधियों को सलाह, सहायता और समन्वय देना। या भारत सरकार के विभाग, राज्य [2021] 6 एस. सी. आर.

प्राधिकरण, वैधानिक निकाय, अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संगठन और आपदा में लगे अन्य लोग

प्रबंधन;

आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करें या उन्हें सलाह दें

(0)

ले जाने के लिए राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण

इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को पूरा करना;

इस संबंध में सामान्य शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना

(पी)

आपदा प्रबंधन; और

(9)

राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए

इसे करने की आवश्यकता है "।

9.4 धारा 12 राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का प्रावधान करती है, और जिसमें शामिल होंगे. (iii) जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता और नुकसान के कारण सहायता भी। घरों और आजीविका के साधनों की बहाली के लिए। धारा 12 निम्नानुसार हैः

12. राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देश। -द.

राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा। जिसमें शामिल होंगे -

((i)

राहत शिविरों में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएँ

आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुरक्षा के संबंध में

और स्वच्छता;

((ख)

विधवाओं और अनाथों के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधान;

जानमाल के नुकसान के कारण भी अनुग्रह सहायता

(iii)

घरों को नुकसान के कारण सहायता और

आजीविका के साधनों की बहाली; ऐसी अन्य राहत जो आवश्यक हो।

((iv)

9.5 धारा 19 राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानकों के लिए समान दिशानिर्देश प्रदान करती है। धारा 46 के अनुसार, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया नामक एक कोष का गठन करना होता है

किसी भी खतरे वाली आपदा या आपदा से निपटने के लिए निधि (एनडीआरएफ)। धारा 46 की उप-धारा 2 के अनुसार, एन. डी. आर. एफ. को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग इन प्रावधानों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए खर्च

रीपैक कंसल बनाम के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ।

राष्ट्रीय प्राधिकरण के साथ। एन. डी. आर. एफ. के अलावा, केंद्र सरकार विशेष रूप से शमन के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष नामक एक कोष का भी गठन कर सकती है। राज्य प्राधिकरण द्वारा इसी तरह के आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन किया जाना है, जिसे डी. एम. ए. 2005 की धारा 48 के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस. डी. आर. एफ.), जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष, राज्य आपदा शमन कोष और जिला आपदा शमन कोष के रूप में जाना जाता है।

9.6 " आपदाः डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, आपदा या गंभीर घटना।

प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, या दुर्घटना या लापरवाही से जिसके परिणामस्वरूप जीवन का पर्याप्त नुकसान या मानव पीड़ा या क्षति, और संपत्ति का विनाश, या पर्यावरण को नुकसान, या क्षरण होता है, और ऐसी प्रकृति या परिमाण का होता है जो मुकाबला करने की क्षमता से परे हो।

प्रभावित क्षेत्र का समुदाय।

" आपदा प्रबंधन "को डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (ई) के तहत भी परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

(ई) "आपदा प्रबंधन" का अर्थ है योजना, आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन की एक निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया।

ऐसे उपाय जो आवश्यक या समीचीन हों

((i) किसी भी आपदा के खतरे या खतरे की रोकथाम;
((ii) किसी भी आपदा या उसकी गंभीरता के जोखिम को कम करना या कम करना।

या परिणाम;

((iii) क्षमता-निर्माण; (3) (iv) किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी;) 9 (किसी भी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया; () (vi) किसी भी आपदा के प्रभावों की गंभीरता या परिमाण का आकलन; () (3) निकासी, बचाव और राहत;
(viii) पुनर्वास और पुनर्निर्माण

धारा 2 (i) के अनुसार, "शमन" का अर्थ है किसी आपदा या आपदा के खतरे, प्रभाव या प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए गए उपाय।

स्थिति। धारा 2 (एम) के अनुसार "तैयारी" का अर्थ है किसी खतरनाक आपदा की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की स्थिति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. डी. एम. ए. 2005 के अधिनियमन के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण और ऊपर निर्दिष्ट डी. एम. ए. 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या धारा 12 में उपयोग किए गए शब्द "होगा" की व्याख्या की जानी चाहिए और इसे "होगा" या "हो सकता है" के रूप में माना जाना चाहिए और क्या यह राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए न्यूनतम के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना "अनिवार्य" या "निर्देशिका/विवेकाधीन" है।

आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता सहित राहत के मानक प्रदान किए जाएंगे।

स्पष्ट और वही डी. एम. ए. 2005 के अधिनियमन के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण और इसके कार्यों और शक्तियों के अनुरूप हो सकता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण। उद्देश्यों और उद्देश्यों में से एक "शमन" है। धारा 6 की धारा 6 (1) और उप-धारा 2 (जी) के अनुसार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने और शमन के उद्देश्य से धन के प्रावधान की सिफारिश करने की जिम्मेदारी होगी। धारा 12 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा, जिसमें (i) आश्रय, भोजन, पेयजल, चिकित्सा कवर के संबंध में राहत शिविरों में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएं और

स्वच्छता; (ii) विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष प्रावधान; और (iii) जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता और

घरों को नुकसान पहुँचाने और आजीविका के साधनों की बहाली के लिए सहायता। इसलिए, यह राष्ट्रीय प्राधिकरण का वैधानिक कर्तव्य है कि वह न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करे आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत, जिसमें राहत सामग्री शामिल होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। प्रावधान में उपयोग की गई भाषा बहुत सरल और स्पष्ट है। निर्धारित कानून के प्रस्ताव के अनुसार

इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में, जब प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो वैधानिक अधिनियमों को सामान्य रूप से इसके स्पष्ट अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। कानून के लाभकारी प्रावधान का शाब्दिक अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि वैधानिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके और इसे विफल न किया जा सके। (भावनगर विश्वविद्यालय (ऊपर) (पैरा 26) देखें।

10.2 डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के तहत, राष्ट्रीय प्राधिकरण है

राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए अनिवार्य। राहत के न्यूनतम मानकों को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। फिर रीपैक कंसल v प्रदान करते समय विधायिका द्वारा कुछ हद तक क्या इरादा है।

राहत के न्यूनतम मानकों को धारा 12 से ही एकत्र किया जाना है। जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के साथ-साथ घरों को नुकसान के कारण सहायता और आजीविका के साधनों की बहाली को राहत के न्यूनतम मानकों का हिस्सा कहा जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण से दिशानिर्देशों की सिफारिश करने की आवश्यकता है।

10.3 जैसा कि इस न्यायालय ने बच्चन देवी के मामले में कहा था

(ऊपर), यहां तक कि "मई" शब्द के कानूनी महत्व की व्याख्या करने के लिए, न्यायालय

विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात्, अधिनियम का उद्देश्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके खिलाफ शब्दों का उपयोग किया गया है, इस शब्द के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्य और लाभ, और इसी तरह। पैराग्राफ 18 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 18. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक वैधानिक कानून में "मई" शब्द का उपयोग किया जाता है।

प्रावधान अपने आप में यह नहीं दिखाएगा कि प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका है। कुछ मामलों में, विधायिका शुद्ध पारंपरिक शिष्टाचार के रूप में "मई" शब्द का उपयोग कर सकती है और फिर भी एक अनिवार्य बल का इरादा रखती है। इसलिए, "मे" शब्द के कानूनी महत्व की व्याख्या करने के लिए, अदालत को विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा, अर्थात्, अधिनियम का उद्देश्य और योजना, संदर्भ और पृष्ठभूमि जिसके खिलाफ शब्दों का उपयोग किया गया है, इस शब्द के उपयोग से प्राप्त होने वाले उद्देश्य और लाभ, और इसी तरह। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां "हो सकता है" शब्द में एक शामिल है

अदला-बदली से। यह पता लगाने के लिए कि क्या इन शब्दों का उपयोग निर्देशिका में किया जा रहा है या अनिवार्य अर्थ में, विधायिका के इरादे को प्रासंगिक शब्दों के साथ देखा जाना चाहिए। परिस्थितियाँ "।

10.4 इसलिए, "होगा" शब्द का अर्थ "हो सकता है" के रूप में और निर्देशिका/विवेकाधीन के रूप में, अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य होगा -

पराजित हुए। धारा 12 में दो बार इस्तेमाल किया गया शब्द "होगा" महत्वपूर्ण रूप से [2021] 6 एस. सी. आर. लागू करता है।

रूप में राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण अनुग्रह सहायता। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और यह विवाद में नहीं है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि कोविड-19 महामारी डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर एक आपदा है। इतना ही नहीं दिनांकित 14.03.2020 पत्र में भी केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को "अधिसूचित आपदा" घोषित किया है। यहां तक कि दिशा-निर्देशों और एस. ओ. पी. सहित अन्य सभी कदम डी. एम. ए. 2005 के प्रावधानों के तहत जारी किए जाते हैं।

इसलिए, एक बार जब कोविड-19 महामारी को "अधिसूचित आपदा"/राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया जाता है, तो अन्यथा भी यह देश के भीतर आपदा हो सकती है।

डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) का अर्थ है, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के प्रावधान लागू होंगे और इसे कोविड-19 महामारी पर लागू किया जाना चाहिए जिसे "अधिसूचित आपदा"/राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। भारत संघ की ओर से यह निवेदन कि कोविड-19 महामारी की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भले ही कोविड-19 महामारी को घोषित किया गया हो और/या आपदा के रूप में माना गया हो, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 लागू नहीं हो सकती है और/या "होगी" शब्द का अर्थ "हो सकता है" के रूप में लगाया जाना चाहिए जब डी. एम. ए. 2005 को अधिनियमित किया गया था, तो विधायिका ने शायद यह कल्पना नहीं की होगी कि ऐसी महामारी/आपदा होगी जिसका दीर्घकालिक प्रभाव/प्रभाव होगा। उपरोक्त को सरलता के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आपदा और एक बार इसे "अधिसूचित आपदा"/राष्ट्रीय आपदा/आपदा के रूप में घोषित किए जाने के बाद, डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 लागू होगी और किसी भी आपदा के संबंध में, डी. एम. ए. 2005 की धारा 2 (डी) के अर्थ के भीतर अनिवार्य रूप से इसका पालन किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुग्रह राशि के लिए कोई निर्णय/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

आपदा/कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए कोविड-19 महामारी के कारण जानमाल के नुकसान के कारण सहायता। एक बार, यह ऊपर के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि "शब्द" को "होगा" के रूप में पढ़ना होगा और यह राष्ट्रीय प्राधिकरण पर अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य है कि वह राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करे जिसमें जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता शामिल होगी, किसी भी रीपैक कंसल v की सिफारिश नहीं की जाएगी।

भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

कोविड-19 महामारी के कारण जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देश, अन्य दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए

राहत के न्यूनतम मानकों के बारे में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण धारा 12 के तहत दिए गए अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा है और इसलिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को कोविड-19 महामारी के कारण जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के लिए उचित दिशानिर्देशों की सिफारिश करने के लिए अनिवार्य आदेश जारी किया जाना चाहिए, जबकि महामारी से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश की जानी चाहिए। आपदा/कोविड-19 महामारी डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 के तहत अनिवार्य है।

11. अब अगला सवाल जो इस न्यायालय के विचार के लिए रखा गया है, वह यह है कि याचिकाकर्ता आगे किस राहत के हकदार हैं। क्या

केंद्र सरकार/राष्ट्रीय प्राधिकरण/राज्य सरकारों को एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य आदेश जारी किया जा सकता है -

अनुग्रह सहायता का तरीका, विशेष रूप से रु। 4 लाख, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की थी? क्या न्यायालय अनुग्रह सहायता के माध्यम से किसी विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है?

11.1 न्यायिक समीक्षा के दायरे पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है। यह.

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोविड-19 महामारी एक विचित्र आपदा है, जिसका अनुभव देश और दुनिया ने लंबे समय से किया है। इसका अन्य प्राकृतिक आपदाओं से असाधारण प्रसार और प्रभाव पड़ता है। इसलिए, इसके अत्यधिक प्रसार और प्रभाव के लिए एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है

अन्य आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं पर लागू होने वाले से अलग। अन्य प्राकृतिक आपदाओं का अलग प्रभाव/प्रभाव होगा। कोविड-19 महामारी का प्रभाव/प्रभाव जारी है। देश के साथ-साथ दुनिया में भी महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और यह बहुत मुश्किल है सटीकता के साथ भविष्यवाणी करें, यह आगे प्रक्षेपवक्र, उत्परिवर्तन और तरंगें हैं। इसकी विशिष्टता और प्रभाव और प्रभाव को देखते हुए, कोविड-19 महामारी को अन्य आपदाओं से अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है। रोकथाम, तैयारी, शमन और पुनर्प्राप्ति पर एक साथ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो दोनों को जुटाने के एक अलग क्रम की मांग करता है

वित्तीय और तकनीकी संसाधन। सरकार की आवश्यकता है और जैसा कि जवाबी हलफनामे में कहा गया है और जैसा कि श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, परीक्षण, टीकाकरण आदि के निर्माण के उद्देश्य से एक विशाल निधि की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के अनुसार, सरकार ने ईमानदारी से और व्यापक जनहित में प्राथमिकताएं तय की हैं और साथ ही रोकथाम, तैयारी, शमन और पुनर्प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित किया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महामारी ने इससे अधिक का कारण बना है 3,85,000 मृत्यु दर में और वृद्धि होने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन मौतों ने सभी वर्गों के परिवारों को प्रभावित किया है-अमीरों को।

और गरीब, पेशेवर और अनौपचारिक श्रमिक, और व्यापारी और किसान। इसने रिश्तेदारों के साथ-साथ बुजुर्ग सदस्यों, बूढ़े माता-पिता को भी प्रभावित किया है।

आपदा अन्य आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं से अलग होगी जिनके लिए अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। अन्य आपदाओं/प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अनुग्रह सहायता के रूप में समान/समान राशि प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं होगा। 4 लाख। 12. जैसा कि ऊपर देखा गया है, सरकार को विभिन्न क्षेत्रों/विभिन्न राहतों के लिए अपनी प्राथमिकताएं और राहत खुद तय करनी होती है।

सरकार को विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों में विभिन्न उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, आम लोगों/प्रवासियों को भोजन और आश्रय प्रदान करना, प्रवासियों को परिवहन आदि। सरकार को अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव से निपटने की भी आवश्यकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करते हुए भी एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. से भारी राशि खर्च करने की आवश्यकता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अनुग्रह सहायता के वित्तीय निहितार्थ भी होंगे और जो आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के अन्य न्यूनतम मानकों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी राज्य या देश के पास असीमित संसाधन नहीं हैं। यही कारण है कि यह केवल वित्तीय घोषणा करता है

राहत/पैकेज जहां तक संभव हो। जब सरकार अपनी नीति बनाती है, तो यह बाधा आधारित सरकारी संसाधनों सहित कई परिस्थितियों, तथ्यों, कानून पर आधारित होती है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है कि

नंदलाल जयस्वाल (ऊपर) के मामले में, सरकार, जैसा कि पर्मियन बेसिन क्षेत्र दर मामलों, 20 एल एड (2 डी) 312 में निर्धारित किया गया है, व्यावहारिक समायोजन करने की हकदार है जिसकी विशेष रूप से आवश्यकता हो सकती है। परिस्थितियाँ। जैसा कि इस न्यायालय ने ऊपर कहा है, न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वैध प्राधिकरण का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन उस प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य को अपने लिए उपयुक्त नहीं बनाया जाता है।

इसलिए, अदालतें राहत प्रदान करने में सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम करेंगी, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो और/या व्यापक सार्वजनिक हित में न हो। सरकार को नीतिगत निर्णय लेने/प्राथमिकताएं तय करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। डी. एम. ए. 2005 के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सरकार को आर. ई. पी. ए. के. कंसल बनाम के न्यूनतम मानकों को प्रदान करते हुए अपने स्वयं के निर्णय/प्राथमिकताएं लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

राहत और यहां तक कि तैयारी, शमन, रोकथाम और पुनर्प्राप्ति के लिए), संसाधनों/निधियों की उपलब्धता और विशेषज्ञों की सहायता और सलाह पर अन्य राहतों के लिए खर्च की जाने वाली राशि के अधीन

और समय-समय पर परिस्थितियों को देखना। इसलिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों की जान जाने के कारण अनुग्रह सहायता के लिए एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

वित्त आयोग ने अपनी XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट और अन्य राहतों/प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक धन। वित्त आयोग की सिफारिशें पर्याप्त दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं। हालाँकि, उसी समय, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करते हुए आपदा/कोविड-19 महामारी, प्राधिकरण को जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता पर दिशानिर्देश जारी करने/सिफारिश करने पर विचार करना होगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता राहत के न्यूनतम मानकों का हिस्सा है, जिस पर राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए विचार किया जाना चाहिए-वर्तमान मामले में कोविड-19 महामारी।

12.1 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और यह बताया गया है कि कुछ राज्य पीड़ित परिवार के सदस्यों को अनुग्रह सहायता का भुगतान कर रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जैसे बिहार राज्य ने रु। 4 लाख, कर्नाटक ने रु। 1 लाख और दिल्ली रु। 50,000 / - . हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसका भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष या अन्य राहत कोष से किया जाता है, लेकिन एस. डी. आर. एफ. से नहीं। किसी भी दिल की जलन और भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचने के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण के लिए एक समान दिशानिर्देशों की सिफारिश करना उचित होगा।

जीवन की हानि के कारण अनुग्रह सहायता के रूप में राहत के न्यूनतम मानकों का प्रावधान, जैसा कि धारा 12 के तहत अनिवार्य है।

अधिनियम। हालाँकि, साथ ही, संबंधित राज्यों के लिए अपने स्वयं के राहत कोष (एस. डी. आर. एफ. के अलावा) से जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता और अन्य राहत प्रदान करने के लिए हमेशा खुला रहेगा क्योंकि यह संबंधित राज्यों द्वारा एक नीतिगत निर्णय होगा और वे निधि की उपलब्धता को देखते हुए ऐसी अन्य राहत/राहत प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, केवल इसलिए कि कुछ राज्य कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता का भुगतान कर रहे हैं, इन कारणों के लिए कहा गया है [2021] 6 एस. सी. आर.

इसके अलावा, केंद्र सरकार/राज्य सरकारों को अनुग्रह सहायता के रूप में एक विशेष राशि/राशि का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा निधि/धन का उपयोग उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

रोकथाम, तैयारी, शमन, वसूली आदि के लिए उपयोग की जाने वाली राशि/निधि शामिल है। इसलिए, कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को अनुग्रह सहायता के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, यह राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। 13. अब जहां तक उत्तरदाताओं को उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना की बात है-राज्य सरकारें एक आधिकारिक दस्तावेज जारी करेंगी जिसमें कहा गया है कि

कोविड-19 मृत्यु के कारण के रूप में संबंधित है, कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सटीक/सही मृत्यु जारी करना प्रत्येक प्राधिकारी का कर्तव्य है

कोविड-19 के कारण। मृत्यु प्रमाण पत्र में भी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हुई है कोविड-19 और/या कोविड-19 के कारण होने वाली कोई अन्य जटिलता/बीमारी, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

हमने उपरोक्त पर केंद्र सरकार की ओर से दायर जवाबी हलफनामे और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है।

कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु का सही कारण, यानी "कोविड-19 के कारण मृत्यु", बताते हुए एक आधिकारिक दस्तावेज/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार और/या उपयुक्त प्राधिकरण। मार्गदर्शन के लिए, इस तरह के दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई है और दो के भीतर उसकी मृत्यु हो गई है। तीन महीने, या तो अस्पताल में या अस्पताल के बाहर या घर पर, मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज मृतक के परिवार के सदस्यों को जारी किया जाना चाहिए, जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, जिसमें मृत्यु का कारण "कोविड-19 के कारण मृत्यु" बताया गया है। हो सकता है कि उसकी मृत्यु अन्य जटिलताओं के कारण भी हुई हो, हालाँकि, कोविड-19 के कारण। दिशानिर्देशों में, यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि यदि मृतक के परिवार के सदस्य (ओं) की मृत्यु रीपैक कंसल बनाम के कारण हुई है।

कोविड-19 को कोई शिकायत है/है कि मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में मृत्यु के सही/सटीक कारण का उल्लेख नहीं है, उसे मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज को ठीक करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए कुछ उपाय प्रदान किया जाना चाहिए।

14. अब जहां तक उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए एक उचित निर्देश जारी करने की प्रार्थना है-राज्य सरकारें अपने दायित्व को पूरा करें

आपदा के पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए मांगी गई प्रार्थना बहुत अस्पष्ट है। अन्यथा भी, भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर विचार करते हुए यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित विभिन्न राहतों को दर्शाता है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं-राज्य सरकारों को सामान्य रूप से एक विशेष नीति/राहत/राहत पैकेज घोषित करने का निर्देश देने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है और यह नीतिगत निर्णय के दायरे में होगा और इसका वित्तीय प्रभाव भी होगा।

15. अब तक 2021 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 539 में उचित निर्देश जारी करने के लिए एक अतिरिक्त राहत मांगी गई है।

उत्तरदाता-बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत संघ और अन्य का संबंध है, XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही इसकी सिफारिशें कर दी हैं और जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार सक्रिय रूप से इस पर विचार कर रही है

अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना। हमें उम्मीद और विश्वास है कि केंद्र सरकार वित्त आयोग द्वारा अपनी XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करेगी और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके उचित निर्णय लेगी।

विशेषज्ञ। अन्यथा भी, भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार पहले ही ऐसा कर चुकी है

सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश में 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रदान किया गया कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में हो सकता है और इससे प्रभावित/संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। यह भी बताया गया है कि अभूतपूर्व स्थिति के कारण, राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आई. एन. आई.)/[2021] 6 एस. सी. आर. द्वारा निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/तदर्थ/आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की मांग की गई है।

कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। उक्त के तहत लाभ योजना को 24.04.2021 से 180 दिनों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त देखभाल की गई है। हालाँकि, हो सकता है कि कुछ वर्ग को छोड़ दिया गया हो, जैसे कि प्रीमोर्टम में काम करने वाले व्यक्ति। इस प्रकार, केंद्र सरकार इस पर गौर कर सकती है और उन लोगों को भी शामिल कर सकती है जिन्हें छोड़ दिया गया हो और जिन्हें कोविड-19 रोगियों के शवों के सीधे संपर्क में कहा जा सकता है। यहां तक कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने भी बार में कहा है कि केंद्र सरकार/उपयुक्त प्राधिकारी इस पर गौर करेंगे।

16. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ वर्तमान रिट याचिकाओं का निपटारा करते हैं:

हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि

1)

कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जानमाल के नुकसान के कारण अनुग्रह सहायता के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करें, जैसा कि डी. एम. ए. 2005 की धारा 12 (iii) के तहत राहत के न्यूनतम मानकों के लिए अनिवार्य है। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किया गया-कोविड 19

महामारी, पहले से ही दिशानिर्देशों के अलावा

कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों की सिफारिश की गई। लेकिन, क्या

अनुग्रह राशि के लिए उचित राशि की पेशकश की जाएगी

सहायता राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दी गई है जो राशि निर्धारित करने पर विचार कर सकता है।

ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करें, जैसे कि अन्य राहतों के लिए एन. डी. आर. एफ./एस. डी. आर. एफ. के तहत निधि की आवश्यकता/उपलब्धता और राष्ट्रीय प्राधिकरण/केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं और अन्य राहतों के लिए आवश्यक निधि।

राहत और निधि के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक

डी. एम. ए. 2005 के तहत दायित्व को पूरा करने के लिए रोकथाम, तैयारी, शमन और पुनर्प्राप्ति और अन्य राहत। उपरोक्त अभ्यास और उचित दिशा-निर्देश

अनुशंसित, जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है, एक अवधि के भीतर

आज से छह सप्ताह;

उपयुक्त प्राधिकरण को सरल जारी करने का निर्देश दिया गया है

2)

मृत्यु प्रमाणपत्र/अधिकारी जारी करने के लिए दिशा-निर्देश

मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु का सटीक कारण बताते हुए दस्तावेज़, यानी "कोविड-19 के कारण मृत्यु", जो EPAK KANSAL v.

भारत और अन्य का संघ [एम. आर. शाह, जे.]

कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। इस तरह के दिशानिर्देश जारी करते समय,

पैराग्राफ 13 में ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह के दिशानिर्देश कोविड-19 के कारण मरने वाले मृतक के परिवार के सदस्यों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में सुधार के लिए उपाय भी प्रदान कर सकते हैं, यदि वे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज में उल्लिखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं हैं; और

भारत संघ इस पर उचित कदम उठाएगा

वित्त आयोग द्वारा अपनी XVth वित्त आयोग की रिपोर्ट में अन्य हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श से अनुच्छेद 8.131 को ध्यान में रखते हुए की गई सिफारिशें।

उपरोक्त सभी लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों की अगली कड़ी है।

से अभिभूत।

लिखित याचिकाओं का निपटारा किया गया।